घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 250- शनिवार 11- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका,अब 3 महीने बिताने होंगे जेल में

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभिनेता को बकाया चुकाने के कई मौके दिए गए थे। उन्होंने बार-बार भुगतान करने का आश्वासन दिया,लेकिन किसी भी वादे पर अमल नहीं किया। एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर इस मामले में कोर्ट ने पाया कि भुगतान न करने की प्रक्रिया लगातार जारी रही। इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने भी उन्हें 6 महीने की जेल सुनाई थी। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी क्योंकि वकील ने समझौते का भरोसा दिलाया था। मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भी गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभिनेता ने 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में देने की बात कही थी, जिसका पालन भी नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिनेता को अब 3 महीने जेल में बिताने होंगे। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अभिनेता की ओर से कोई अपील दायर की जाती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशुतोष तिवारी को घोषित किया उम्मीदवार

भोपाल,10 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है जबकि चर्चा पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की हो रही थी। दतिया सीट पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का वर्चस्व रहा है। यहां से उपचुनाव की घोषणा के बाद से नरोत्तम मिश्रा चुनावी तैयारियों में जुटे थे। सभाएं करके अपनी पुरानी गलतियों पर माफी मांग रहे थे। उन्होंने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। इसी बीच केंद्रीय संगठन ने आशुतोष का नाम घोषित कर दिया। आशुतोष तिवारी लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। संभागीय संगठन मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन (कैबिनेट मंत्री के दर्जा) भी रह चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी नेताओं में माना जाता है। मूल रूप से वे दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से संघ व संगठन में सक्रिय रहे हैं। उनकी छवि एक शांत, मृदुभाषी और संघर्षशील नेता की है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विजयी हुए थे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन बैंक फर्जीबाड़े के एक मामले में एमपीएमएलए अदालत ने भारती को तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। भारती ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी। उनकी अपील भी शुक्रवार को खारिज कर दी गई। इसके बाद अब उपचुनाव का रास्ता साफ़ हो गया है। कांग्रेस ने अभी दतिया सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।

अयोध्या : वेतन नहीं मिलने का आरोप,चढ़ावा गिनने वाले 20 से ज्यादा कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा

अयोध्या,10 जुलाई 2026। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गणना का कार्य इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रहा है। मंदिर में दान की गिनती में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ काम छोड़ दिया है। इन कर्मियों का आरोप है कि मंदिर प्रशासन द्वारा उनका कार्यभार तो काफी बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें उचित पारिश्रमिक या पेमेंट नहीं मिल रही थी। इस असंतोष के चलते कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। इस बड़े पैमाने पर हुए इस्तीफों के कारण अब मंदिर प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना पड़ा है। अब तक दो शिफ्टों (सुबह 8 से 2 और दोपहर 2 से 8) में होने वाला गणना का कार्य अब केवल एक ही शिफ्ट में सिमट गया है। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने अब दान की गिनती का नया समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है।

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से किया बड़ा ऐलान...

भारत में पहली बार होगा बिग बैश लीग का मैच

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तीन देशों के दौरे पर हैं, जिसमें इंडोनेशिया के बाद वह 8 जुलाई को वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की उपस्थिति में बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग बिग बैश के 16वें सीजन के पहले मुकाबले को भारत में खेले जाने की आधिकारिक घोषणा की। ऐसा पहली बार होगा जब भारत में किसी विदेशी टी20 लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। पीएम मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 10 जुलाई की सुबह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल संबंधों को लेकर बात की जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी मुझे अपने दोस्त प्रधानमंत्री अल्बानीज से मिलने का मौका मिला है, क्रिकेट हमारे बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव का जरिया रहा है। हमने अहमदाबाद में साथ मिलकर स्टेडियम का दौरा किया था और आज यहां आकर मैं खेल की भावना को सचमुच महसूस कर सकता हूं, खासकर तब जब हमारे बीच स्टीव वॉ और लिसा स्थालेकर जैसे दिग्गज मौजूद हों। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर कदम रखते ही किसी भी भारतीय के मन में एक साथ दो भावनाएं जागती हैं। पहली भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि हमारे दोनों देशों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक साझा जुनून है।

ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक महोत्सव का होगा प्रमुख आकर्षण

बिग बैश लीग का जुनून भारत में भी काफी देखने को मिलता है, जिसमें इसके सीजन की शुरुआत अधिकतर दिसंबर महीने में होती है तो वहीं फाइनल मैच जनवरी के महीने में खेला जाता है। पहली बार बीबीएल के सीजन का मुकाबला घर से बार किसी दूसरे देश में आयोजित किया जाएगा। वहीं भारत में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले एक सप्ताह के ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक महोत्सव का भी बीबीएल 2026-27 का पहला मुकाबला प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहने वाला है।

ई20 पेट्रोल से माइलेज में आ सकती है 3-5 प्रतिशत की गिरावट,लेकिन फायदे अनेक : पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ई20 मिश्रण से कुछ गाड़ियों के माइलेज में 3-5 प्रतिशत की कमी आ सकती है, लेकिन माइलेज सिर्फ एक पैमाना है,क्योंकि ई20 में काफी ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक गुण,तेजी से जलने की क्षमता, बेहतर पिकअप,आसान एक्सेलरेशन और इंजन के क्लीन ऑपरेशन जैसे फायदे मिलते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ई10 अनुकूलता के लिए, मैन्युफैक्चरर्स से 2020-21 में ही काफी पहले ही विचार-विमर्श कर लिया गया था। भारत ने जून 2022 में अपना ई10 लक्ष्य (पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण) हासिल कर लिया, जो ईएसवाई 2020-21 में तय तारीख से पांच महीने पहले था। मंत्रालय ने नोट में कहा, 'ई20 के लिए और भी सख्त प्रक्रिया अपनाई गई। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट सप्लायर्स, टेस्टिंग एजेंसियों और रिसर्च संस्थानों के साथ व्यापक बातचीत की गई। आईएमसी का रोडमैप 2021 से ही सार्वजनिक था और इसमें ई20 तक पहुंचने का एक व्यवस्थित रास्ता बताया गया था।' इसमें कहा गया है कि सामग्री की अनुकूलता, इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, गाड़ी चलाने में आसानी, टिकाऊपन, उत्सर्जन और फ्यूल की बचत जैसे हर पहलू की जांच की गई।

कोर्ट रूम में याचिकाकर्ता ने आपा खोया...दस्तावेज उड़ाए,सीजेआई को दी गाली

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जिसमें एक याचिकाकर्ता ने अपना आपा खो दिया और कोर्ट रूम में हंगामा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को गाली दी। यह घटनाक्रम न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ के समक्ष हुआ। माहौल इतना बिगड़ गया कि याचिकाकर्ता को कोर्ट से जबरन बाहर निकालना पड़ा। कोर्ट की सुनवाई का यह लाइव प्रसारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई में वे खुद पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान अंग्रेजी में कहा...माननीय न्यायिक सेवक,मैं आपको लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता हूं। इस आचरण पर न्यायमूर्ति विश्वनाथन चौंक गए और पूछा,आप मुझे आदेश दे रहे हैं? जवाब में प्रताप बोले,मेरी तरफ से बस इतना ही। सब कुछ रिकॉर्ड में है। प्रताप ने अपनी बात कहने के बाद दस्तावेजों की फाइल कोर्ट रूम में उड़ा दी और सीजेआई को गाली देते हुए कहा,ये सीजेआई को दे देना। तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने प्रताप को पकड़ लिया और गाली देने पर उसका मुंह दबा दिया। उसे जबरन कोर्ट के बाहर ले जाया गया। बार एंड बेंच के मुताबिक, घटना का जिक्र शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित पीठ द्वारा पारित आदेश में भी किया गया है। कोर्ट ने घटना को लेकर कहा, जब इस मामले पर सुनवाई हुई,तो दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित हुए प्रबल प्रताप ने अपना पक्ष रखने के बजाय असंगत और असंसदीय बयान दिए।

बांकीपुर उपचुनाव : भाजपा ने बदला उम्मीदवार,अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को बनाया प्रत्याशी

बीजेनी प्रत्याशी अभिषेक ने चौंकाया,अपना नामांकन लिया वापस

पटना,10 जुलाई 2026। बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अंतिम समय में बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने पहले घोषित प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी के स्थान पर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अभिषेक ने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया है। उन्होंने इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी में काम करते रहेंगे। अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। भाजपा के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से होगा। बांकीपुर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भाजपा ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने गुरुवार को उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल किया, लेकिन नामांकन के अगले ही दिन शुक्रवार को चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव मैदान से हटने की जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने अपने निर्णय के पीछे कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया। उल्लेखनीय है कि अभिषेक बंटी के नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद पटना के स्काउट एंड गाइड मैदान में आयोजित सभा में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित राजग के नेताओं ने उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में उनके अचानक चुनाव से हटने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां उम्मीदवार परिवर्तन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, अभिषेक बंटी भाजपा के युवा नेताओं में गिने जाते हैं। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा पटना महानगर और मंडल स्तर पर भी उन्होंने संगठन में विभिन्न दायित्व निभाए हैं। पिछले लगभग दो दशकों से वह बांकीपुर और पटना में पार्टी संगठन के लिए सक्रिय रहे हैं तथा नितिन नवीन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं।

अब भारत में तैयार होगा इजरायल का अजेय 'आयरन डोम',राफेल कंपनी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। आसमान से बरसती मौत को हवा में ही खाक कर देने वाले इजरायल के अचूक हथियार 'आयरन डोम' को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही इस विश्व प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भारतीय जमीन पर आकार ले सकती हैं। इजरायल की दिग्गज रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स अब भारत में आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन शुरू करने की बड़ी योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी कई प्रमुख भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ अहम बातचीत के दौर में है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो इतिहास में पहली बार इजरायल और अमेरिका के बाहर इस अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण भारत में होगा। यह कदम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत काफी समय से विदेशी हथियार निर्माता कंपनियों को अपने देश में स्थानीय उत्पादन और निर्यात के लिए आकर्षित कर रहा है। आयरन डोम की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने से न केवल देश की अपनी सैन्य ताकत और रक्षा उत्पादन क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि दुनिया भर की रक्षा सप्लाई चेन में भी भारत का दबदबा काफी बढ़ जाएगा। वर्तमान में इस इंटरसेप्टर मिसाइल का निर्माण केवल उत्तरी इजरायल और अमेरिका में रेथियॉन कंपनी के सहयोग से होता है, लेकिन अब भारत इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम बनने जा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव और युद्ध के हालातों को देखते हुए पूरी दुनिया में अचूक एयर डिफेंस सिस्टम की मांग अचानक से आसमान छूने लगी है। ऐसे में भारत के अंदर नई प्रोडक्शन लाइन शुरू करने से इजरायली कंपनी राफेल को भी रणनीतिक रूप से बड़ा फायदा होगा। भारत में निर्माण होने से मिसाइलों की उत्पादन लागत काफी कम हो जाएगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और वैश्विक मांग को जल्द से जल्द पूरा करना आसान होगा।

'मटन' की जगह 'चिकन' परोसते ही बवाल..

शादी का मंडप बना रणक्षेत्र,जमकर चले लाठी-डंडे

सहरसा,10 जुलाई 2026। बिहार के सहरसा जिले में एक निकाह समारोह उस समय हिंसा में बदल गया, जब बारातियों को कथित तौर पर वादा किए गए मटन (खस्सी का मीट) की जगह चिकन परोस दिया गया। मामूली विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि शादी का मंडप अखाड़े में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। घटना में कई लोग घायल हो गए। यह मामला महिषी प्रखंड के राजनपुर गांव का है, जहां सिमरी बख्तियारपुर से बारात पहुंची थी। निकाह की रस्में शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद बाराती भोजन करने बैठे। इसी दौरान कुछ लोगों ने मटन के बजाय चिकन परोसे जाने पर आपत्ति जताई। आरोप है कि इस बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में दूल्हा पक्ष के मो. आशिक, मो. इरफान, मो. हसन, मो. अब्बास, मो. जब्बार, मो. आतिफ और मो. महबूब सहित कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल,सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

12 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं पर सरकार सख्त,बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दवाओं की बिक्री को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में संशोधन करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल युक्त सभी ओरल दवाओं (मुंह से ली जाने वाली दवाएं) को अब 'शेड्यूल एच1' श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद, 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा वाली ऐसी कोई भी दवा अब बिना किसी वैध डॉक्टर के पर्चे के नहीं खरीदी जा सकेगी। सरकार का यह कदम विशेष रूप से उन कफ सिरप और स्वास्थ्य टॉनिकों पर प्रभावी होगा, जिनका दुरुपयोग नशे के विकल्प के रूप में किया जा रहा है।

शेड्यूल एच1 और दवाओं की बिक्री पर नई पाबंदियां : 'शेड्यूल एच1' भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एक विशेष श्रेणी है, जिसमें उन दवाओं को शामिल किया जाता है जिनके गलत इस्तेमाल या ओवरडोज़ से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। नए नियमों के अनुसार, फार्मासिस्टों और दवा दुकानदारों के लिए दो सख्त अनुपालन अनिवार्य कर दिए गए हैं: पहला, दवा बेचने वाले को हर ग्राहक के लिए एक अलग रजिस्टर में मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम, पते का विवरण और दवा की मात्रा का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। दूसरा, इन दवाओं को केवल डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) पर ही बेचा जा सकेगा, और उस पर्ची की एक प्रति दुकानदारों को अपने पास रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखनी होगी। यह व्यवस्था दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता लाने और उनकी ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

अल्कोहल और कोडीन युक्त दवाओं का नशीले पदार्थों की तरह इस्तेमाल लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से कफ सिरप की तस्करी और उनके नशे के तौर पर बेचे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हुई कुछ दुखद घटनाओं ने सरकार को इन नियमों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार के इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य उन सभी दवाओं की खुली बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना है, जो स्वास्थ्य के लिए तो बनी हैं लेकिन नशे का जरिया बन चुकी हैं। यह निर्णय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के साथ गहन परामर्श के बाद लिया गया है।

क्या है नया नियम और कब से हुआ लागू?

सरकार ने इस प्रस्ताव को अक्टूबर 2025 में ड्राफ्ट के रूप में सार्वजनिक किया था, ताकि आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जा सकें। निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी प्रतिकूल आपत्ति दर्ज न होने के उपरांत, सरकार ने इन संशोधनों को अंतिम रूप दिया है। अब यह नियम प्रभावी रूप से उन सभी दवाओं पर लागू होगा जिनमें इथाइल अल्कोहल की सांद्रता 12 प्रतिशत से अधिक है और जिनकी पैकेजिंग 30द्वद्य से बड़ी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे युवाओं के बीच बढ़ती दवाओं की लत पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिलेगी।

दवा विक्रेताओं और आम नागरिकों के लिए निर्देश

इस बदलाव के बाद अब दवा दुकानदारों को अपनी इन्वेंट्री और बिक्री रिकॉर्ड को और अधिक व्यवस्थित करना होगा। वहीं, आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार के कफ सिरप या टॉनिक को बिना डॉक्टर की सलाह के खरीदने का प्रयास न करें। यदि किसी को सर्दी-जुकाम या अन्य समस्या है, तो उन्हें डॉक्टर से मिलकर वैध प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करना होगा। केंद्र सरकार की यह नीति दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समाज को नशे के जाल से बचाने की एक बड़ी पहल है, जो भविष्य में एक सुरक्षित स्वास्थ्य वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

अयोध्या में वीआईपी दर्शन के नियम बदले महंत दीनेंद्र दास को मिली नई जिम्मेदारी

अयोध्या,10 जुलाई 2026। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में वीआईपी दर्शन पास जारी करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अब सुगम और विशिष्ट (वीआईपी) दर्शन पास जारी करने का आधिकारिक अधिकार महंत दिनेंद्र दास को सौंप दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने महंत दिनेंद्र दास की आईडी सिस्टम में विधिवत रूप से एक्टिवेट कर दी है, जिसके बाद अब उनकी सिफारिश पर ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे। यह बदलाव श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पूर्व में कार्यरत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ में उठाए गए कदम के बाद हुआ है। ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी को तत्काल प्रभाव से डी-एक्टिवेट कर दिया है, जिससे अब वे पास जारी करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दो प्रकार के दर्शन पास उपलब्ध हैं–'सुगम दर्शन पास' और 'विशिष्ट दर्शन पास'। इन पासों को जारी करने के लिए ट्रस्ट के प्रत्येक ट्रस्टी के नाम से एक विशेष आईडी सिस्टम में जनरेट की गई है। इस प्रणाली के तहत, किसी भी श्रद्धालु को वीआईपी दर्शन की सुविधा देने के लिए संबंधित ट्रस्टी की औपचारिक सिफारिश या उनकी आईडी से डिजिटल अप्रूवल आवश्यक होता है। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से महंत दिनेंद्र दास के पास है। यह नई व्यवस्था मंदिर की दर्शन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, ताकि दर्शन व्यवस्था के प्रबंधन में स्पष्टता बनी रहे। हाल ही में राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी से जुड़े मामले सामने आने के बाद पास प्रणाली पर भी सवाल उठे थे। जांच के दौरान आरोप लगे थे कि इस सिस्टम का दुरुपयोग कर बड़ी हेराफेरी की गई है। कथित तौर पर, दान चोरी मामले के आरोपी टिन्नू यादव ने इसी ऑनलाइन सिस्टम का लाभ उठाकर अपने स्तर पर सैकड़ों पास जारी करवा लिए थे। इसके साथ ही, ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के करीबियों पर भी वीआईपी पास जारी करने के नाम पर लाखों रुपये की अवैध कमाई करने के गंभीर आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद ट्रस्ट अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए आईडी एक्सेस को सीमित कर दिया गया है। मंदिर में चढ़ावे की गणना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। हाल ही में आउटसोर्स कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर इस्तीफे की खबरों के बीच बैंक सूत्रों ने जानकारी दी है कि काम सुचारू रूप से चल रहा है।

संपादकीय

अस्वीकार्य है आतंकियों का महिमामंडन

कुख्यात कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है,जिसका असर इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन थामे हुए है और इसका निशाना किस पर है? स्टालिन के ही वैचारिक पूर्वज व्लादिमीर लेनिन कहते थे मुझे बच्चों को सिखाने के लिए चार साल दीजिए और मैंने जो बीज बोया है, वह कभी उखाड़ा नहीं जा सकेगा। ऐसे कथन जिस खतरनाक चीज की ओर इशारा करते हैं, उसका दंश अपना देश सैकड़ों वर्षों से झेल रहा है। शिक्षा के जरिये ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो देश-समाज को विध्वंस के रास्ते पर ले जाता रहा। ऐसी भयानक साजिश का ताजा उदाहरण है जम्मू-कश्मीर में चयनित पुस्तकों में ऐसी सामग्री का समावेश,जो युवाओं को गुमराह कर अलगाववाद की ओर धकेलने,आतंकवाद को बढ़ावा देने, सामाजिक अशांति फैलाने तथा भारत की संप्रभुता-अखंडता को खतरे में डालने वाला है।

यह मामला केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'समग्र शिक्षा योजना' के तहत सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए चयनित पुस्तकों से जुड़ा है, जिसकी सामग्री अलगाववाद,आतंकवाद और भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाली है। विवाद के केंद्र में पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स आफ जेएंडके और ग्रेट पर्सनैलिटीज आफ जम्मू एंड कश्मीर नाम की दो पुस्तकें हैं। ओबेराय बुक्स सर्विस द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों में आतंकी मकबूल भट्ट,अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, शबीर अहमद शाह, मसरत आलम, मीरवाइज उमर फारूक और मौलवी फारूक जैसे देश विरोधी तत्वों को जम्मू-कश्मीर के महापुरुषों के रूप में चित्रित किया गया है।

जबकि भारत को खतरनाक तरीके से नकरात्मक रूप में चित्रित किया गया है। कुख्यात आतंकवादी मकबूल भट्ट को जहां 'महान क्रांतिकारी' बताया गया, वहीं जम्मू-कश्मीर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने और उसके पाकिस्तान में विलय की पैरवी करने वालों का महिमामंडन किया गया है। यहां तक कि हाफिज सईद जैसे दुर्दांत अंतरर्राष्ट्रीय आतंकी को भी प्रशंसा मिली है। यहां तक कि भारत को 'एक कब्जा जमाने वाला एवं दमनकारी राज्य' कहा गया है। जबकि वास्तविकता एकदम उलट है कि पाकिस्तान ने ही जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर न केवल अवैध कब्जा किया हुआ है, बल्कि इस गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोगों का ऐसा दमन जारी रखा हुआ है कि वहां के लोग सहायता के लिए भारत की ओर निहार रहे हैं।

यह अच्छा है कि विवाद सामने आते ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने तत्काल प्रभाव से दोनों पुस्तकों को वापस लेने का आदेश दे दिया है। आठ अधिकारियों का निलंबन और दोनों पुस्तकों के लेखकों व प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई है,लेकिन घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक तो यही कि विशेषज्ञों की समिति के कौन से सदस्य हैं,जिन्होंने ऐसी पुस्तकों की खरीद के लिए सिफारिश की? यह भी कि पुस्तकों की स्वीकृति के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किसने और किस आधार पर किया? इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। याद रहे कि ये पुस्तकें, स्कूल के पुस्तकालयों तक दुर्घटनावश या किसी गलत खरीद के कारण नहीं पहुंची थीं। इसे एक आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से विशेषज्ञ समिति की सुनियोजित सिफारिश पर खरीदा गया। क्या यह भी चिंतनीय नहीं कि भारत सरकार की ही एक शिक्षा योजना का जम्मू-कश्मीर सरकार के निर्देश पर ऐसी किताबों पढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है,जो एक तरफ आतंकवादी और अलगाववादियों का महिमामंडन करती है तो दूसरी तरफ भारतीय राजसत्ता को नकारात्मक रूप से चित्रित करते हुए हमारी संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने का काम करती है। इस मामले में पुस्तक के लेखकों और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट कर देना ही काफी नहीं है। उनके खिलाफ राष्ट्र-विरोधी लेखन प्रचारित करने के लिए मामले दर्ज किए जाने चाहिए,जो खुले तौर पर आतंकवाद और अलगाववाद का महिमामंडन करते हैं।

शहरों में पैदल चलने का अधिकार या संघर्ष?

सत्यवान सौरभ
हिसार,हरियाणा

भारत के शहर तेजी से बदल रहे हैं। चौड़ी सड़कों,ऊँचे फ्लाईओवरों, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो नेटवर्क और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को आधुनिक विकास का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन इस चमकदार विकास के बीच एक बुनियादी प्रश्न लगातार उपेक्षित रहा है–क्या हमारे शहर इंसानों के लिए बने हैं या केवल वाहनों के लिए? क्या एक नागरिक को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक ढंग से पैदल चलने का अधिकार वास्तव में उपलब्ध है?
राइट टू वॉक केवल परिवहन का मुद्दा नहीं है,बल्कि आधुनिक शहरी परिदृश्यों में स्थानिक न्याय,सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा का गंभीर प्रश्न है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल नहीं चल सकता, तो यह केवल यातायात की समस्या नहीं बल्कि उसके नागरिक अधिकारों के सीमित होने का संकेत है।

भारत में करोड़ों लोग आज भी अपनी दैनिक यात्राओं का बड़ा हिस्सा पैदल तय करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग,महिलाएँ,दिव्यांगजन,मजदूर,छोटे दुकानदार और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी चरण में पैदल ही चलते हैं। इसके बावजूद हमारी शहरी योजना में पैदल यात्रियों को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। फुटपाथ या तो हैं ही नहीं,या अतिक्रमण से घिरे हैं,या उनकी स्थिति इतनी खराब है कि लोग मजबूर होकर सड़क पर चलने लगते हैं। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है।
विडंबना यह है कि जिन लोगों के पास निजी वाहन नहीं हैं,वही सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं। जिनके पास कार है, उनके लिए चौड़ी सड़कें बनती हैं; जिनके पास वाहन नहीं,उनके लिए सुरक्षित फुटपाथ भी उपलब्ध नहीं। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्थानिक अन्याय का उदाहरण है।
स्थानिक न्याय का अर्थ है कि शहर के सार्वजनिक संसाधनों,स्थानों और सुविधाओं पर सभी नागरिकों का समान अधिकार हो। यदि शहर का अधिकांश सार्वजनिक स्थान वाहनों को समर्पित कर दिया जाए और पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों तथा दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था न हो,तो यह सार्वजनिक स्थानों के असमान वितरण को दर्शाता है।

भारतीय शहरों की अधिकांश सड़कें वाहन-केंद्रित सोच के साथ विकसित हुई हैं। यातायात प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य वाहनों की गति बढ़ाना माना जाता है, जबकि सड़क का वास्तविक उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होना चाहिए। यही कारण है कि कहीं फुटपाथ अचानक समाप्त हो जाते हैं, कहीं बिजली के खंभे,ट्रांसफार्मर या ठेले उनके बीच खड़े मिलते हैं, तो कहीं पार्किंग ने पूरी जगह घेर रखी होती है।
महिलाओं के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग केवल सुविधा नहीं बल्कि स्वतंत्रता का प्रश्न है। यदि किसी महिला को शाम के समय अंधेरे,सुनसान अथवा टूटी हुई सड़क से गुजरना पड़े तो उसकी आवाजाही सीमित हो जाती है। इसी प्रकार बुजुर्गों के लिए ऊँचे फुटपाथ, बिना रैंप के क्रॉसिंग और तेज रफ्तार यातायात गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। दिव्यांगजन तो अनेक बार सार्वजनिक स्थानों का उपयोग ही नहीं कर पाते।
यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य समावेशी,सुरक्षित और सुलभ शहरों पर विशेष बल देते हैं। शहर तभी समावेशी कहलाएँगे जब प्रत्येक नागरिक–चाहे उसकी आय,आयु,लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो–समान सम्मान के साथ सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके।

आज शहरी विकास में एक बड़ी विडंबना यह है कि विकास का मूल्यांकन प्रायः इस आधार पर किया जाता है कि सड़क पर कितनी तेजी से वाहन चल सकते हैं। जबकि किसी भी विकसित शहर का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि वहाँ पैदल चलना कितना सुरक्षित,आरामदायक और सहज है।
विश्व के अनेक देशों ने पिछले वर्षों में वॉकेबल सिटी की अवधारणा को अपनाया है। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक वाहन-निर्भरता प्रदूषण, ऊर्जा संकट,मानसिक तनाव,सड़क दुर्घटनाओं और सामाजिक अलगाव को बढ़ाती है। इसके विपरीत पैदल चलने योग्य शहर स्वास्थ्य,पर्यावरण,स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संवाद को मजबूत करते हैं।

जब लोग पैदल चलते हैं तो स्थानीय बाजारों में अधिक खरीदारी करते हैं, छोटे व्यवसायों को लाभ मिलता है, सामुदायिक संबंध मजबूत होते हैं और शहर अधिक जीवंत बनते हैं। पैदल चलना सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। नियमित पैदल चलना मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी अनेक जीवनशैली संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यदि शहर लोगों को पैदल चलने के लिए प्रेरित करें तो स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय भी कम हो सकता है।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी राइट टू वॉक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश बड़े शहर वायु प्रदूषण,कार्बन उत्सर्जन और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यदि छोटी दूरी की यात्राओं के लिए लोग पैदल चलने लगें तो ईंधन की खपत कम होगी,प्रदूषण घटेगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा केवल डिजिटल तकनीक या निगरानी प्रणाली तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वास्तविक स्मार्ट सिटी वह है जहाँ बच्चा सुरक्षित स्कूल जा सके, बुजुर्ग बिना भय के पार्क तक पहुँच सके,महिला रात में भी आत्मविश्वास के साथ चल सके और दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी बाधा के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके।
भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौती भी राइट टू वॉक से गहराई से जुड़ी हुई है। तेज गति,अवैध पार्किंग,अतिक्रमण, अव्यवस्थित ट्रैफिक और पैदल पारपथों की कमी प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान लेती है। अनेक दुर्घटनाएँ केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती।

शहरों में अक्सर देखा जाता है कि फुटओवर ब्रिज या सबवे तो बनाए जाते हैं,लेकिन उनकी उपयोगिता,दूरी और पहुँच का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार बुजुर्ग,महिलाएँ या दिव्यांगजन उनका उपयोग नहीं कर पाते और मजबूर होकर सड़क पार करते हैं। इसलिए केवल संरचना बना देना पर्याप्त नहीं,बल्कि उसे मानव-केंद्रित बनाना आवश्यक है।

राइट टू वॉक सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्रा पर अधिक निर्भर रहता है। यदि शहर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं होंगे तो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं वर्गों को होगा। दूसरी ओर निजी वाहन रखने वाले अपेक्षाकृत सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर पाएँगे। इस प्रकार शहरी ढाँचा अनजाने में सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर देता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सड़कों की योजना बनाते समय पैदल यात्रियों को प्राथमिक उपयोगकर्ता माना जाए। फुटपाथ पर्याप्त चौड़े,समतल, बाधा-मुक्त और निरंतर होने चाहिए। प्रत्येक प्रमुख चौराहे पर सुरक्षित ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल,रैंप,टैक्टाइल पाथ और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएँ अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है।
शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्येक सड़क परियोजना के साथ पैदल प्रभाव आकलन जैसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के लिए बन रही हैं। नगर नियोजन में कम्प्लीट स्ट्रीट्स की अवधारणा को व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें पैदल यात्री,साइकिल चालक,सार्वजनिक परिवहन और मोटर वाहन–सभी के लिए संतुलित स्थान सुनिश्चित किया जाता है।
विद्यालयों, बाजारों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों के आसपास विशेष पैदल सुरक्षा क्षेत्र विकसित किए जाने चाहिए,जहाँ वाहनों की गति सीमित हो और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिले। बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल मार्ग, महिलाओं के लिए बेहतर प्रकाश व्यवस्था और बुजुर्गों के लिए आराम दायक बैठने की व्यवस्था जैसे छोटे कदम भी शहरों को अधिक मानवीय बना सकते हैं।

साथ ही नागरिकों के व्यवहार में भी परिवर्तन आवश्यक है। फुटपाथ पर वाहन खड़े करना,ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकना, पैदल यात्रियों को रास्ता न देना और तेज गति से वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन है। सड़क साझा सार्वजनिक स्थान है, जहाँ हर व्यक्ति का समान अधिकार है।

अंततः राइट टू वॉक किसी विलासिता की माँग नहीं है। यह जीवन, समानता,गरिमा,सुरक्षा,स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा एक मूलभूत नागरिक अधिकार है। यदि शहर केवल कारों के लिए विकसित होंगे तो वे आर्थिक रूप से भले आधुनिक दिखें,लेकिन सामाजिक रूप से असमान और मानवीय दृष्टि से अधूरे रहेंगे।

एक सभ्य और संवेदनशील शहर की पहचान उसकी सबसे चौड़ी सड़क या सबसे ऊँची इमारत नहीं होती, बल्कि यह होती है कि वहाँ सबसे कमजोर नागरिक कितनी सुरक्षा,सहजता और सम्मान के साथ पैदल चल सकता है। इसलिए समय आ गया है कि शहरी विकास की दिशा वाहन-केंद्रित सोच से हटकर मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़े। क्योंकि जब हर नागरिक बिना भय, बिना बाधा और बिना भेदभाव के चल सकेगा, तभी लोकतंत्र का सार्वजनिक स्थान वास्तव में सबका होगा और राइट टू वॉक केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवंत वास्तविकता बन सकेगा।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

हर बच्चा भविष्य का पृष्ठ : लेकिन हम पन्ने भर रहे हैं या लिख रहे हैं?

भीड़ से शक्ति तक : जनसंख्या को अवसर में बदलने की चुनौती

कृति आर.के.जैन
बड़वानी, मध्यप्रदेश

हर जन्म नई संभावना लेकर आता है, लेकिन हर संभावना उपलब्धि में नहीं बदलती। यही प्रश्न विश्व जनसंख्या दिवस हमारे सामने खड़ा करता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य जनगणना की तालिकाओं में नहीं, बल्कि उन चेहरों में लिखा होता है जिन्हें हम अक्सर केवल संख्या मान लेते हैं। एक नवजात शिशु किसी परिवार का नया सदस्य भर नहीं, बल्कि देश के भविष्य का पहला पृष्ठ होता है। विडंबना यह है कि उस पृष्ठ पर भविष्य लिखने की तैयारी किए बिना हम हर वर्ष नई प्रतियां जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि भारत में कितने लोग हैं,बल्कि यह है कि उनमें कितनी संभावनाओं को अवसर मिला और कितनों को परिस्थितियों के भरोसे छोड़ दिया।आज भारत 1.47 अरब से अधिक लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह है। इसे केवल भीड़ कहना उतनी ही बड़ी भूल होगी, जितनी बिना तैयारी के इसे शक्ति मान लेना। संख्या न वरदान है,न अभिशाप,वह केवल संभावनाओं का भंडार है,जिसका मूल्य इस बात से तय होता है कि राष्ट्र उसकी ऊर्जा को किस दिशा में ले जाता है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। अनेक विकसित देश घटती जन्म दर और वृद्ध होती आबादी की चुनौती से जूझ रहे हैं, जबकि हमारे पास युवा शक्ति का अवसर है,जो इतिहास बार-बार नहीं देता। किंतु अवसर तभी उपलब्धि बनता है,जब उसके पीछे दूरदर्शी व्यवस्था हो। केवल युवाओं की संख्या से राष्ट्र समृद्ध नहीं होता;शिक्षा,स्वास्थ्य,कौशल और रोजगार का सुदृढ़ आधार भी उतना ही आवश्यक है।

यहीं सबसे बड़ी विडंबना है। युवाओं की ऊर्जा प्रचुर है,लेकिन उसे दिशा देने वाली व्यवस्था अब भी अपेक्षाओं से पीछे है। शिक्षा डिग्री दे रही है, दक्षता नहीं; स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं,पर समान नहीं; रोजगार की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अवसर उसी गति से नहीं। परिणामस्वरूप युवा निराशा,असुरक्षा और दिशाहीनता के बीच अपने महत्वपूर्ण वर्ष गंवा देते हैं। यह केवल व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय हानि है। जिस ऊर्जा से नवाचार, अनुसंधान,उद्योग और सामाजिक परिवर्तन संभव थे, वही बेरोजगारी,पलायन और असंतोष में बदल जाती है। जनसंख्या का वास्तविक संकट यहीं से प्रारंभ होता है।

अब समय है कि बहस जनसंख्या नियंत्रण से आगे बढ़कर जनसंख्या की गुणवत्ता पर केंद्रित हो। किसी बच्चे का जन्म केवल जैविक घटना नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। उसे स्वस्थ शरीर,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और सम्मानजनक अवसर देना ही वास्तविक परिवार नियोजन है। शहरों में महंगाई और करियर की चुनौतियों ने बच्चों का पालन-पोषण महंगी जिम्मेदारी बना दिया है, वहीं गांवों में अवसरों का अभाव युवाओं को शहरों की ओर धकेल रहा है। परिणामस्वरूप गांव खाली हो रहे हैंऔर शहर अनियोजित विस्तार व भीड़ के दबाव से जूझ रहे हैं। इसलिए जनसंख्या नीति का संबंध केवल जन्म दर से नहीं,बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य,कौशल विकास,रोजगार और संतुलित क्षेत्रीय विकास से होना चाहिए। तभी हर नया नागरिक देश की संपत्ति बनेगा, बोझ नहीं।

आज का युवा जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सार्थक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी आकांक्षाओं में अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य,स्वच्छ पर्यावरण,समान अवसर, नवाचार और व्यक्तिगत विकास शामिल हैं। यदि ये अपेक्षाएं अधूरी रहीं तो आने वाले वर्षों में जन्म दर स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी और हमारे सामने भी वही स्थिति आ सकती है,जिससे आज कई विकसित राष्ट्र गुजर रहे हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस का संदेश परिवार नियोजन तक सीमित नहीं रह सकता। इसे युवा सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, महिला शिक्षा,स्वास्थ्य सुरक्षा और सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ना होगा। जब प्रत्येक युवा अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकेगा, तभी जनसंख्या राष्ट्रीय संपदा बनेगी।
पर्यावरण और संसाधनों को लेकर हमारी सोच भी बदलनी होगी। यह कहना आसान है कि बढ़ती आबादी संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है,किंतु यह आधा सत्य है। वास्तविक प्रश्न यह है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है। असंतुलित उपभोग,अपव्यय और विकास की असमान शैली कई बार जनसंख्या से अधिक नुकसान पहुंचाती है। यदि तकनीक,नवाचार,नवीकरणीय ऊर्जा,स्मार्ट शहर,आधुनिक कृषि और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को प्राथमिकता मिले,तो बड़ी आबादी भी सतत विकास की साझेदार बन सकती है। केवल जनसंख्या को दोष देकर नीतिगत कमजोरियों और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिल सकती।
भारत जैसा विविधताओं से भरा देश एक जैसी नीति से नहीं चल सकता। अलग-अलग राज्यों,क्षेत्रों,संस्कृतियों और आर्थिक परिस्थितियों की अपनी चुनौतियां हैं। इसलिए जनसंख्या प्रबंधन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला होना चाहिए। शिक्षा में निवेश,महिला सशक्तिकरण,स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार,कौशल विकास और रोजगार सृजन–यही भविष्य के भारत के आधार स्तंभ हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारतीय मानव संसाधन को सही दिशा मिली,उसने असंभव को संभव बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन से सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्रांति तक हर उपलब्धि के पीछे संख्या नहीं,बल्कि प्रशिक्षित और प्रेरित मानव शक्ति ही निर्णायक रही है।

विश्व जनसंख्या दिवस हमें नई दृष्टि अपनाने का अवसर देता है। हमें लोगों की गिनती से आगे बढ़कर उनमें छिपी संभावनाओं को पहचानना होगा। देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके खनिज,इमारतें या बजट नहीं, बल्कि उसके नागरिक होते हैं। यदि हर बच्चे की शिक्षा में निवेश होगा, हर युवा को अवसर मिलेगा,हर महिला सुरक्षित और सशक्त होगी तथा हर क्षेत्र संतुलित विकास का सहभागी बनेगा,तो भारत केवल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र नहीं,बल्कि सक्षम,समृद्ध और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा।

देश को शर्मसार करता राजस्थान मानव तस्करी ओर बलात्कार केस

केशी गुप्ता
द्वारका नई दिल्ली

बचपन जो बेखौफ,निश्छल, पवित्र होता है, ऐसे में किसी बच्ची को ह्यूमन ट्रैफैकिंग के चलते बलात्कार जैसी अमानवीय,असहनीय पीड़ा को झेलने पड़े तो ये हादसे मानव के सभ्य होने पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है । राजस्थान के गंगानगर मानव तस्करी से जुड़े 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के सामूहिक बलातकार केस ने संपूर्ण देश को ना सिर्फ शर्मसार किया है बल्कि मानव समाज और उसकी व्यवस्था,तानेबाने पर अनेको प्रश्न खड़े किए हैं ? तथाकथित तथ्यों पर आधारित एक नाबालिग बच्ची जिसे अगवा कर कई दिनों तक होटल के एक कमरे में कैद कर 30 से अधिक वहशी आदमियों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। एक घिनोना अपराध है। उस बच्ची की रूह चीख चीख कर समाज, कानून व्यवस्था में न्याय की मांग कर रही है। हालांकि इस अपराध से जोड़े अधिकतर अपराधियों को क़ानूनी गिरफ्त में ले लिया गया है और मानव तस्करी से जोड़े ऐसे ठिकानो को बुलडोजर चला गिरा दिया गया है । परंतु बड़ा सवाल ये है कि इस घिनौने अपराध के सामने आने से पहले ये होटल ठिकाने क्यों,कैसे और किसके संरक्षण में पनप रहे थे ? कथित घटना स्थल से वहां की पुलिस कैसे

अनभिज्ञ थी ? क्या बुलडोजर चलवा कर तहकिकात को नियंत्रित किया गया ? ऐसे कई सवाल आवाम के जहन में उठ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सुरक्षा कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। जब हम अब तक सबसे अधिक चर्चित एपस्टीन फाइल जैसे स्कैंडल को देखते हैं तो क्या ये कहना गलत होगा कि अक्सर ऐसे गुनाह बड़े ताकतवर लोगो के साये में ही पनपते है ? देश में आये दिन इस तरह की क्रूर घटनाएं सामने आ रही हैं। बलात्कार की बढ़ती घटनाएं हर बेटी के मां बाप की रातों की नीद और दिन का चैन छीने हुए है। ये घटनाएं बढ़ते मानसिक रोग, हैवानियत और गिरती मानवता को दर्शाती हैं। हर मासूम बच्ची पूछ रही है आखिर कहा है सुरक्षा? जब तक बलात्कारियों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी तब तक कानून का खौफ होना मुमकिन नहीं। सोशल मीडिया पर अपराधियों को बेल उपरांत जश्न मनाते देख अपराधियों के हौंसले ओर बुलंद होते हैं। इस तरह की पोस्ट रिल्स पर पाबंदी होनी चाहिए जो समाज में गलत संदेश पहुंचाती हैं। यदि कोई व्यवस्था समाज को व्यवस्थित करने में असफल है तो वह एक विचारणीय विषय है। जिसे सुधारना आवश्यक है।

बिच्छू के स्वभाव को बदलने की व्यर्थ कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें...

मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

यदि आप कभी यह सुनें कि कोई विशाल पर्वत अपनी जगह से हिल गया है, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं,क्योंकि प्रकृति में ऐसी भौगोलिक घटनाएं संभव हैं,लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि किसी व्यक्ति का मूल स्वभाव या उसकी फ़ितरत पूरी तरह बदल गई है, तो उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि इंसान अपनी आदतें तो बदल सकता है, लेकिन अपनी मूल फितरत को कभी नहीं बदल सकता। नीतिशास्त्र और लोककथाओं में इसी बात को समझाने के लिए एक बेहद सटीक उदाहरण अक्सर सुनने को मिलता है कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, चाहे आप उसे कितनी भी मखमली जगह पर क्यों न रख दें। यह मात्र एक कहावत नहीं, बल्कि मानव व्यवहार और प्रकृति के एक कड़वे सच को उजागर करता हुआ एक गहरा जीवन-दर्शन है, जिसे समझे बिना हम अक्सर व्यावहारिक जीवन में धोखा खा जाते हैं। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले आदत और फितरत यानी स्वभाव के महीन अंतर को समझना होगा,आदत वह व्यवहार या कार्य है जिसे कोई भी व्यक्ति बार-बार दोहराकर,अपने माहौल,मजबूरी या ज़रूरत के हिसाब से सीखता है और इसे समय,प्रयास तथा इच्छाशक्ति से बदला जा सकता है,जैसे देर से सोकर उठने वाला व्यक्ति यदि ठान ले,तो वह सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकता है,या कोई अनुशासनहीन व्यक्ति अभ्यास से अनुशासित हो सकता है। इसके विपरीत, फितरत या स्वभाव इंसान का वह मूल तत्व है जिसके साथ वह पैदा होता है और जो उसके चरित्र की सबसे गहरी परतों में समाया होता है, जिसे बदलना लगभग असंभव होता है। बुजुर्गों द्वारा पहाड़ के हिलने का उदाहरण देना यह दर्शाता है कि भौतिक रूप से जो चीज नामुमकिन लगती है,वह भी किसी बड़े भूकंप या प्राकृतिक उथल-पुथल से मुमकिन हो सकती है,लेकिन किसी इंसान के आंतरिक चरित्र का बुनियादी रूप से बदल जाना इस भौतिक चमत्कार से भी ज्यादा दुर्लभ है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी जीव या व्यक्ति को अगर बेहतर सुविधाएं, प्रेम और मखमली परिवेश दिया जाए,तो उसके भीतर का संताप या नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, लेकिन बिच्छू के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवेश केवल बाहरी आवरण को बदल सकता है,आंतरिक प्रवृत्ति को नहीं, क्योंकि मख़मल भले ही आराम, विलासिता और सुरक्षा का प्रतीक हो,पर एक बिच्छू के लिए उस मखमल के कोई मायने नहीं हैं और उसका डंक मारना कोई सोची-समझी साजिश या गुस्सा नहीं,बल्कि उसका मूलभूत आत्मरक्षा तंत्र और स्वभाव है। अक्सर लोग अपने किसी तात्कालिक लाभ,स्वार्थ,डर या किसी विशेष परिस्थिति के कारण कुछ समय के लिए अपने व्यवहार और आदतों को बदल लेते हैं,जिससे सामने वाले को यह भ्रम हो जाता है कि वह व्यक्ति पूरी तरह सुधर गया है या बदल गया है,परंतु जैसे ही वह अनुकूल परिस्थिति या स्वार्थ समाप्त होता है और व्यक्ति पर से दबाव हटता है, उसकी असली फितरत दोबारा पूरी तीव्रता के साथ बाहर आ जाती है। इस आलेख का मुख्य उद्देश्य बिच्छू की जीवविज्ञान को समझना नहीं, बल्कि इसके बहाने इंसानी फ़ितरत को टटोलना है,क्योंकि हमारे आस-पास भी ऐसे कई लोग होते हैं जिनका स्वभाव दूसरों को नुकसान पहुँचाना, ईर्ष्या करना या धोखा देना होता है,और आप उन्हें कितना भी सम्मान दें,प्रेम दें या उनके लिए मखमली बिछौना बिछा दें,लेकिन अगर उनकी फितरत में डंक मारना लिखा है,तो वे अपने पहले अवसर पर आपको चोट ज़रूर पहुँचाएंगे। ऐसे लोगों को सुधारने के भ्रम में अक्सर सीधे और संवेदनशील लोग अपना ही नुक़सान कर बैठते हैं, इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि हर किसी को बदला नहीं जा सकता। यह विचार हमें हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ी सीख देता है और सचेत करता है कि किसी भी व्यक्ति के तात्कालिक अच्छे व्यवहार या दिखावे में आकर हमें उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए,विशेषकर तब जब उस व्यक्ति का इतिहास अतीत में धोखा देने या नुकसान पहुंचाने का रहा हो। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि हम किसी दूसरे की फितरत को नहीं बदल सकते, तो हम दूसरों से अनावश्यक और अत्यधिक उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं,जिससे हम मानसिक रूप से सुरक्षित रहते हैं और यह समझ हमें जीवन में मिलने वाले कई मानसिक आघातों, धोखों और निराशाओं से बचाती है। इसके साथ ही,यह कथन हमें आत्म-निरीक्षण की प्रेरणा भी देता है कि हम स्वयं अपने भीतर झांकें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी फितरत में कोई ऐसी बुराई न हो जो दूसरों को ठेस पहुंचाए,तथा हम हमेशा अपनी आदतों को अच्छाई की ओर मोड़ते रहें। अंततः,बिच्छू को मखमल पर रखने से न तो मख़मल की कीमत कम होती है और न ही बिच्छू का ज़हर बदलता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम बिच्छू के स्वभाव को बदलने की व्यर्थ कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें,बल्कि संसार में शांति से जीने के लिए लोगों को उनकी वास्तविक फ़ितरत के साथ पहचानना सीखें,अच्छे लोगों का सम्मान करें और जिनके स्वभाव में नुक़सान पहुंचाना शामिल हो,उनसे एक सुरक्षित और समझदारी भरी दूरी बनाए रखते हुए ख़ुद को उनके डंक से बचाकर जीवन में आगे बढ़ें।

सबकी अपनी-अपनी कहानी है...

प्रोफेसर शामलाल कौशल
रोहतक, हरियाणा

सबकी इस दुनिया में अपनी अपनी कहानी है
सबने अपने अपने ढंग से जिंदगी बितानी है
दुनिया में सब लोग सुख से समय बिताए
यह कहना तो दिल से नहीं मुंह जुबानी है।
आज जिस घर में भी झांक कर देखो दोस्तों
नौजवानों की बड़ों के प्रति ना फरमानी है।
आजकल दुनिया का जो बुरा हाल हो रहा है
उसे देखकर तो हम सबको होती हैरानी है।
जिस घर में भी देखो अधिकांश बहुएं ने
सासों को दर किनार कर,बनी महारानी है।
आजकल भलाई के बदले भलाई होती नहीं
यही ही तो बेरहम कलयुग की निशानी है।
जिस तरह भी हो इज्जत बचाकर जी लो
कौन जाने कितने दिनों की यह जिंदगानी है।
दुख में कोई आकार रखेगा हाथ कंधे पर
इस तरह की बात सोचना तो सरासर नादानी है।
सच बेचारा बैठा हैं मंदिर की सीढ़िया पर और
गले में फूलों की माला डालें जो दिखे बेईमानी है।
दुनिया में कोई सुखी है और कोई यहां दुखी है
जिस तरफ भी देखो सबकी अपनी कहानी है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

CMYK

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर कांग्रेस का प्रदर्शन,तेज बारिश में फूंका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला

घड़ी चौक पर पुलिस से नोकझोंक के बीच हुआ विरोध प्रदर्शन,कांग्रेस बोली...लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।
केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने शुक्रवार को अंबिकापुर के घड़ी चौक में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनका आरोप था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,उनके परिवार के सदस्यों,पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध जांच एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई कर उन्हें मानसिक और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के शासन के तहत नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसी क्रम में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने घड़ी चौक को प्रदर्शन स्थल बनाया। दोपहर बाद शुरू हुए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और भाजपा सरकार के खिलाफ लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कथित राजनीतिक प्रतिशोध का विरोध किया।

बारिश भी नहीं रोक सकी प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं के अनुसार बारिश के बावजूद पुतला दहन सफल बनाने के लिए विशेष तैयारी की गई थी। पुतला तैयार करने में फोम और थिनर का उपयोग किया गया ताकि लगातार बारिश के बीच भी वह पूरी तरह जल सके। कांग्रेस का दावा है कि बारिश के बावजूद पुतला पूरी तरह जल गया और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए।

कांग्रेस ने लगाए गंभीर राजनीतिक आरोप

मीडिया से चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पूरे देश में विपक्ष को समाप्त कर एकपक्षीय राजनीति स्थापित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर जांच एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई कर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं होती,जबकि विपक्षी नेताओं के मामलों में जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए कहा कि जनता भाजपा के इस कथित दोहरे रवैये को समझ रही है और भविष्य में इसका जवाब देगी।

पुलिस से हुई नोकझोंक : कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक धक्का-मुक्की और नोकझोंक की स्थिति भी बनी। हालांकि कार्यकर्ताओं ने पुतला अपने कब्जे में रखते हुए अंततः उसका दहन कर दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए घड़ी चौक पर यातायात भी प्रभावित रहा।

बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस पदाधिकारी

प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जे.पी. श्रीवास्तव, शफी अहमद, द्वितेंद्र मिश्रा, हेमंत सिन्हा, मोहम्मद इस्लाम, रामविनय सिंह, प्रशांत सिंह 'चीकू', इंद्रजीत सिंह धंजल, दुर्गेश गुप्ता, संजय सिंह, अशफाक अली, मोहम्मद हसन, कलीम खान, मोहम्मद बाबर, जमील खान, विकल झा, जीवन यादव, गुरुप्रीत सिद्धू, सोहन जायसवाल, निकी खान, सतीश बारी, अमित सिन्हा, प्रीतपाल सिंह 'लकी', मोंटी, अविनाश कुमार, अमित सिंह, गीता रजक, मोहम्मद इमरान, विकास शर्मा, रोशन कन्नौजिया, तीरथ चौधरी, केदार यादव, उर्मिला विश्वास, अनुराधा सिंह, अंकित जायसवाल, मोहम्मद अख्तर, शिफ्तीन रजा, शरीक अली, राहुल सोनी, सत्यम सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मैनपाट में स्टंट और सड़क जाम करने वाले बाइकर्स गैंग पर एफआईआर,पुलिस की सख्त कार्रवाई शुरू

मैनपाट में पर्यटन या हुड़दंग? वायरल वीडियो ने खड़े किए सुरक्षा पर बड़े सवाल

-संवाददाता-
अंबिकापुर/मैनपाट,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।
पर्यटन स्थल मैनपाट में बाइकर्स समूह द्वारा सड़क पर हुड़दंग,तेज रफ्तार में स्टंट,सड़क जाम करने और तेज आवाज वाले साइलेंसर से आम लोगों को परेशान करने के मामले में कमलेश्वरपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब संबंधित बाइकर्स और उनके वाहनों की पहचान कर सख्त वैधानिक कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर थाना कमलेश्वरपुर में तत्काल मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी को ऐसे बाइकर्स समूहों के विरुद्ध लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाने, वाहनों को जब्त करने तथा मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रार्थी की शिकायत के अनुसार 7 जुलाई 2026 को सुबह से शाम तक मैनपाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाइकर्स दो-तीन सवारी बैठाकर तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहे थे। कई युवक मुख्य मार्गों पर बाइक लहराते हुए स्टंट कर रहे थे,जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहा और आम लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। शिकायत में बताया गया कि बाद में बाइकर्स के समूह ने अंबिकापुर घाट,कापू घाट और सीतापुर घाट मार्ग पर झुंड बनाकर सड़क पर बाइक खड़ी कर दीं तथा तेज आवाज में एक्सीलेटर रेस देकर शोर-शराबा किया। इससे यातायात बाधित हुआ और पर्यटकों व स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 41/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 190, 189, 126, 270 एवं 285 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाइकर्स एवं उनके वाहनों की पहचान कर रही है।

सप्लायर से कैप्सूल के जखीरे तक...'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता की लगातार कार्रवाई,लेकिन नशे के असली नेटवर्क पर अब भी बड़ा सवाल

24 घंटे में सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद अब 3,528 नशीले कैप्सूल जब्त,दो आरोपी जेल भेजे गए,आखिर इतनी बड़ी खेप गांव तक पहुंची कैसे?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।
संभागीय आबकारी उड़नदस्ता के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन कहे जाने वाले रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत नशीली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। श्याम लॉज से साहिल तिर्की की गिरफ्तारी, फिर उसके कथित सप्लायर नितीश गुप्ता तक 24 घंटे में पहुंचने के बाद अब टीम ने सीतापुर क्षेत्र से 3,528 नशीले कैप्सूल का बड़ा जखीरा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आबकारी विभाग के अनुसार,10 जुलाई को सीतापुर क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम केसला निवासी सजाद अली अपने घर में भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर आबकारी उड़नदस्ता टीम ने उसके घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान शयन कक्ष से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में रखी 441 स्ट्रिप, कुल 3,528 नग SPASMO PROXYVON PLUS कैप्सूल बरामद किए गए। पूछताछ में सजाद अली ने बताया कि यह कैप्सूल धेलसरा निवासी उसके भांजे महबूब खान के हैं। इसके बाद टीम ने तत्काल धेलसरा पहुंचकर महबूब खान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा

22(सी) एवं 29 के तहत कार्रवाई कर विशेष न्यायालय नारकोटिक्स में पेश किया गया,जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

हर कार्रवाई के बाद अगली कड़ी तक पहुंच रही टीम : हाल के दिनों में आबकारी उड़नदस्ता की कार्रवाई का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले श्याम लॉज से साहिल तिर्की की गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बयान के आधार पर नितीश गुप्ता तक टीम पहुंची। अब सीतापुर में सजाद अली की

गिरफ्तारी के बाद उसके बताए अनुसार महबूब खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी विभाग अब केवल बरामदगी तक सीमित न रहकर आरोपियों के बयान के आधार पर अगली कड़ियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है।

लेकिन हर कार्रवाई के साथ बड़ा होता जा रहा नेटवर्क : लगातार हो रही गिरफ्तारियां एक ओर विभाग की सक्रियता दिखाती हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी बताती हैं कि नशीले पदार्थों का कारोबार अभी भी व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। पहले इंजेक्शन, फिर महुआ शराब, फिर होटलों से अवैध शराब और अब हजारों नशीले कैप्सूल की बरामदगी यह संकेत देती है कि नशे का स्वरूप लगातार बदल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांव के एक घर तक 3,528 कैप्सूल पहुंचे कैसे? क्या यह केवल स्थानीय स्तर का कारोबार है या इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा है?

सप्लाई चेन की जांच सबसे अहम : अब तक की अधिकांश कार्रवाइयों में विभाग ने कैरियर,विक्रेता और कुछ कथित सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल आखिर किस स्रोत से निकलकर सरगुजा संभाग के अलग-अलग इलाकों तक पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जब्त दवाओं के बैच नंबर, खरीद के दस्तावेज, वितरण श्रृंखला और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जाए तो पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

ऑपरेशन क्लीन की अगली परीक्षा

सुपरमैन रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में चल रहा 'ऑपरेशन क्लीन' लगातार बड़ी बरामदगियां और गिरफ्तारियां दर्ज कर रहा है। लेकिन अब इसकी सफलता का वास्तविक पैमाना केवल जब्ती और गिरफ्तारी नहीं,बल्कि यह होगा कि क्या जांच उन लोगों तक पहुंचती है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं।

क्योंकि हर नई कार्रवाई के साथ एक नया नाम सामने आ रहा है,लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है ...

आखिर सरगुजा संभाग में नशीली दवाओं की इतनी बड़ी खेप पहुंचा कौन रहा है,और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कब बेनकाब होगा?

बाइकर्स गैंग पर सरगुजा पुलिस का बड़ा एक्शन,158 बाइक जब्त,नाबालिग चालकों के परिजनों को दी चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
मैनपाट क्षेत्र में बाइकर्स गैंग की स्टंटबाजी और यातायात नियमों की लगातार अनदेखी के बाद सरगुजा पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों और यातायात शाखा की संयुक्त कार्रवाई में 158 दोपहिया वाहनों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, हाल ही में कमलेश्वरपुर क्षेत्र से बाइकर्स गैंग का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें युवक सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते और यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना कमलेश्वरपुर, दरिमा, मणिपुर, कोतवाली अंबिकापुर तथा यातायात शाखा को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान यातायात शाखा ने 50,थाना कमलेश्वरपुर ने 55,थाना दरिमा ने 40, थाना कोतवाली ने 8 तथा थाना मणिपुर ने 5 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 158 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी एवं जब्ती की कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर उनके परिजनों को थाने बुलाकर कड़ी समझाइश दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में दोबारा ऐसा पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक और अभिभावकों के विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने, स्टंटबाजी करने,तेज आवाज वाले साइलेंसर का उपयोग करने तथा आम नागरिकों और पर्यटकों को परेशान करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाइकर्स गैंग द्वारा सड़क जाम करने, खतरनाक स्टंट करने या तेज आवाज वाले साइलेंसर से लोगों को परेशान करने की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस हेल्पलाइन 9479193599 अथवा डायल 112 पर जानकारी दें। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

सरगुजा में बैंकों और एटीएम की सुरक्षा पर पुलिस का सघन अभियान,सीसीटीवी व सुरक्षा इंतजामों की हुई जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।
सरगुजा पुलिस ने जिले में बैंक और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों तथा एटीएम में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बैंक परिसरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बैंक प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बैंकों और एटीएम का औचक

निरीक्षण किया। पुलिस टीमों ने बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली की जांच की तथा उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैंक परिसर के भीतर और बाहर बिना किसी स्पष्ट कारण के घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई। बैंक में आने का उद्देश्य जानने के बाद आवश्यक सत्यापन भी किया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा गार्डों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत नजर रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान बैंक ग्राहकों को भी जागरूक किया गया। पुलिस ने अपील की कि लेन-देन के समय सतर्क रहें, अपने एटीएम पिन,ओटीपी,बैंक खाता संबंधी जानकारी अथवा अन्य गोपनीय सूचनाएं किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।

शिक्षा ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव : मंत्री राजेश अग्रवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।
पर्यटन,संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को सरगुजा जिले के पी.एम. श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, लखनपुर तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेण्ड्राकला में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होकर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाई, अध्ययन सामग्री वितरित की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा ही विकसित

छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम और नियमित अध्ययन को अपनाने का आह्वान किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल उदयपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत उदयपुर उपवनमण्डल के वन परिक्षेत्र उदयपुर में दिनांक 26.07.2025 को गश्ती के दौरान वन परिक्षेत्र उदयपुर के वन कर्मचारियों द्वारा वाहन TATA Pickup Rx वाहन क्रमांक MP54 GA 0215 को उसमें लोड वनोपज साल प्रजाति चिरान 04 नग = 0.142 घनमीटर सहित स्थान गोरियाडोल से पुटा मार्ग (कक्ष क्रमांक पी. 2062) तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) में पकड़ा गया। अवैध वनोपज के अवैध रूप से परिवहन में लिप्त पाये जाने के कारण परिसर रक्षक सोनतरई द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 (1) धारा 41 (1) एवं छ.ग. वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) ग के तहत् कार्यवाही करते हुए वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18644/11 दिनांक 26.07. 2025 पंजीबद्ध किया गया। जिसकी सूचना वन परिक्षेत्राधिकारी उदयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक / 1182 दिनांक 27.07.2025 के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी उदयपुर को दी गई।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी उदयपुर द्वारा प्रकरण की जांच परिक्षेत्र सहायक डांड़गांव से कराया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2003 दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी उदयपुर के कार्यालय में राजसात की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.) को पंजीकृत वाहन के वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्राप्ति हेतु पत्र लेख किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा पंजीकृत वाहन के स्वामी संबंधी जानकारी दिया गया। तदुपरान्त उक्त जप्तशुदा वाहन के स्वामी को पर्याप्त अवसर देते हुए भारतीय डाक के माध्यम से उनके पंजीयन दस्तावेज में उल्लेखित पते पर कारण दर्शाओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुए ।

अतः इस सूचना के माध्यम से अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि उक्त जप्त वाहन में वाहन स्वामी या जिस किसी का भी हित निहित हो, अपने स्वामित्व संबंधी समस्त वैधानिक दस्तावेजों सहित दिनांक 14.08.2026 तक या इसके पूर्व किसी भी कार्यालयीन दिवस को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं उपरोक्त जप्त वाहन को शासन के पक्ष में राजसात कर दी जावेगी ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उप वनमण्डलाधिकारी,
उप वनमण्डल उदयपुर (छ.ग.)

जी0नं0 -262701993/2

कार्यालय अधिक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर ,मण्डल अम्बिकापुर (छ0ग0)

निविदा आमंत्रण तिथि -07.07.2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें https://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग- स.क्र. 01 अम्बिकापुर. स.क्र. 02.03 जशपुर,स.क्र. 4 सूरजपुर एवं स.क्र. 05 मनेन्द्रगढ़ संभाग
03. स.क्र. 01 से 4 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार स.क्र. 05- 'स' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि- स.क्र. 1.2 - 22.07.2026 एवं स.क्र. 3 व 5 28.07.2026

सरल क्र.	एन.आई.टी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	127	जला सरगुजा विकासखण्ड अम्बिकापुर के सकालो में हाई स्कूल भवन निर्माण का शेष कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	17.57
2	128	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्र. 2 जशपुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों एंव पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	50.00
3	129	लोक निर्माण विभाग सभाग जशपुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गो में इमल्शन बी.टी. पैच रिपेयर का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	20.00
4	130	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सूरजपुर एवं प्रेमनगर अंतर्गत पेटी बाजार आईटम सप्लाई कार्य (प्रथम आमंत्रण)	20.00
5	131	जिला कोरिया अंतर्गत आई टी आई कटगोड़ी में 50 बिस्तरीय हास्टल भवन का निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित (प्रथम आमंत्रण)	169.34

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर,मण्डल अम्बिकापुर

जी0नं0 -262701984/2

केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन,प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला दहन

रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रतिशोध जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने सरकार पर साधा निशाना

-संवाददाता-
सूरजपुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का पुतला दहन किया,प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।

रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उतरी कांग्रेस- विरोध प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है, कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया।

शशि सिंह ने लगाया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शशि सिंह ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उन्होंने कहा कि जब-जब सरकार अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है या चुनाव नजदीक आते हैं,तब विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो जाती है, उन्होंने दावा किया कि रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य विपक्ष की आवाज को दबाना है।

लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा...

शशि सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है और अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी,उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के प्रयासों से कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाता रहेगा।

सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग निष्पक्ष जांच के बजाय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, उनका कहना था कि लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए और उनका इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के हित में नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन- विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया, प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का विरोध किया, कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह, जिला महामंत्री संजय दोसी, विद्यासागर सिंह, नरेंद्र जैन, कुलदीप बिहारी, प्रदीप साहू, राजू गुप्ता, प्रवेश गोयल, महेंद्र साहू, कवल बिहारी टेकाम, हेमलता राजवाड़े, लीली राजवाड़े, संतोष पावले, सुनील सारथी, विक्की समद्दर, अविनाश साहू, राजू राजवाड़े, बबीता गुप्ता, रोहन राजवाड़े, शतवंत सिंह, चन्द्रदत्त दुबे, परमेश्वर राजवाड़े, संदीप शर्मा, शांतु दोषी, गिरधारी साहू, ज्ञान गुप्ता, शक्ति ठाकुर, इमरान इराकी, जरीना सुल्ताना, दिव्या तांजे, दिनेश राजवाड़े, आशीष सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

07 साल से फरार स्थायी वारंटी सहित तीन आरोपी गिरफ्तार,न्यायालय में किया गया पेश

-संवाददाता-
लखनपुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस द्वारा फरार वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना लखनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वर्ष से फरार एक स्थायी वारंटी समेत कुल तीन स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को लंबित स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामिली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत लखनपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया। पहले मामले में वर्ष 2019 के केस क्रमांक 1762/19, धारा 294, 506, 323, 34 भादवि के प्रकरण में न्यायालय से जारी स्थायी वारंट पर विनोद कुमार मरावी (29 वर्ष),निवासी जमगला, थाना लखनपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लगभग सात वर्षों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। वहीं दूसरे मामले में केस क्रमांक 8937/25, धारा 296(3), 351(2),115(2),3(5) बीएनएस के प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट के आधार पर अर्जुन सिंह (20 वर्ष) एवं अजय सिंह (21 वर्ष), दोनों निवासी पुहपुटरा, थाना लखनपुर को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी लखनपुर उप निरीक्षक सम्पत पोटाई,प्रधान आरक्षक प्रवीण चंद तिवारी,आरक्षक विजय पैकरा एवं आरक्षक सोहन राजवाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एलआईसी अधिकारी पर 28.55 लाख के गबन का आरोप, एसीबी ने दाखिल की चार्जशीट...

प्रीमियम की राशि बैंक में जमा करने के बजाय फर्जी पे-इन स्लिप लगाने का आरोप

विशेष न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया अभियोग पत्र

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अंबिकापुर ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विश्रामपुर सैटेलाइट कार्यालय में 28.55 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी अमोद कुमार लकड़ा के विरुद्ध विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सूरजपुर में अभियोग पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अब मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होगी। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, एलआईसी विश्रामपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विनोद कुमार सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 से 2020 के बीच शाखा में बीमा प्रीमियम के रूप में जमा हुई 28 लाख 55 हजार 968 रुपये की राशि को बैंक में जमा नहीं कराया गया। आरोप है कि तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी अमोद कुमार लकड़ा ने उक्त राशि को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सतपता शाखा में जमा करने के बजाय उसका गबन कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक में राशि जमा होने का आभास देने के लिए आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी पे-इन स्लिप तैयार कर उन्हें एलआईसी कार्यालय में जमा कर दिया, जिससे लंबे समय तक गबन का मामला सामने नहीं आ सका। शिकायत की जांच के दौरान आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर एसीबी ने वर्ष 2022 में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विस्तृत विवेचना शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद शुक्रवार को एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),सूरजपुर में पेश किया तथा उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। अब इस बहुचर्चित गबन प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सूरजपुर पुलिस का वृहद एकता वृक्षारोपण अभियान जिलेभर में लगाए 1000 से अधिक पौधे

-संवाददाता-
सूरजपुर 10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सूरजपुर पुलिस ने जिलेभर में वृहद एकता वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। अभियान के तहत पुलिस कार्यालयों, पुलिस लाइन तथा जिले के सभी 23 थाना-चौकी परिसरों में 1000 से अधिक पौधे लगाए गए। अभियान की शुरुआत पुलिस लाइन सूरजपुर में डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा पौधारोपण कर की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन, पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान उपस्थित रहे।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 / अ-6 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिकागण सुबेदा खातुन पति रफीक, उम्र 61 वर्ष, समीमा खातुन पति निजामुद्दीन, उम्र 38 वर्ष, दोनों जाति मोमिन, निवासी मोमिनपुरा तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिकागण के द्वारा अनावेदकगण रमेश कु0 आ.स्व. अगनु राम अग्रवाल, उम्र- 74 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी सदर रोड़ अग्रसेन वार्ड अ0पुर, आशीष कुमार आ0 रमेश कुमार अग्रवाल, उम्र- 43 वर्ष जाति अग्रवाल, निवासी सदर रोड़ अग्रसेन वार्ड अ0पुर द्वारा मुख्तारनामा आम राकेश कुमार अग्रवाल आ.स्व. बलराम अग्रवाल, उम्र- 66 वर्ष जाति अग्रवाल, निवासी मकान नं. 26/1 अग्रोह्य मार्ग, गुप्ता गली कोरबा छ0ग0 के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पुर, शीट नं. 08 मोहल्ला पर्राडांड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 2484/1, 2484/2 रकबा क्रमशः 871.2, 435.6 वर्गफीट भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिकागण द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 24/ 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 08/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ब्रम्हदेव सिंह आ0. स्व. रामचरण निवासी देवरी थाना बतौली तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने माता स्व. सिरमनिया पति आ0. स्व. रामचरण की दिनांक 02/01/2025 को स्थान लक्ष्मीनारायण हॉस्पीटल में हुई है

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रोहित कच्छप आ0. राजकुमार कच्छप निवासी चोरकाकछार थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने माता स्व मुनिका कच्छप .आ0. पति राजकुमार कच्छप की दिनांक 23/09/2012 को स्थान निवास में हुई है

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

रक्षित केंद्र बलरामपुर में साप्ताहिक जनरल परेड,उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित

-संवाददाता-
बलरामपुर,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शुक्रवार को रक्षित आरक्षी केंद्र बलरामपुर के परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक वैभव बेंकर (भा.पु.से.) की उपस्थिति में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड कमांडर एवं रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन द्वारा पुलिस अधीक्षक को सलामी देकर की गई। इसके बाद एसपी ने परेड का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टर्नआउट, अनुशासन और परेड प्रदर्शन का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट टर्नआउट एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले चार अधिकारी-कर्मचारियों को उत्साहवर्धन के उद्देश्य से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद आयोजित ओआर (ऑर्डरली रूम) में अनुशासनहीनता से जुड़े चार प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा कर्मचारियों को अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा बलरामपुर पुलिस इकाई को आवंटित एक नई बस एवं 18 नई मोटरसाइकिलों का भी शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इन नए वाहनों से पुलिस की गश्त, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपातकालीन पुलिस सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। इसके पश्चात सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस-2026 के अवसर पर 'एकता वृक्षारोपण' कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,जिला-सूरजपुर

/ईश्तहार //

रा0प्र0क्र0.....ब-121/2025-26

आम जनता ग्राम केनापारा को सूचित किया जाता है कि आवेदक दुधनाथ राजवाडे आ0 स्व. भैयालाल जाति बरगाह निवासी ग्राम केनापारा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने पिता स्व. भैयालाल आ0 दशरू राम का मृत्यु दिनांक 15/05/2008 को ग्राम केनापारा में मृत्यु होना बताकर जन्म प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, वार्ड का पंचनामा, आधार कार्ड, अनुपलब्धता प्रमाण की छाया प्रति सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म / मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति या संस्था कोई आपत्ति हो तो दिनांक 22/07/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा । तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 08/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-27/2024-25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्यारी पुत्री स्व. क्यास दास पत्नी उपेश्वर, निवासी ग्राम इन्दरपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम इन्द्रपुर स्थित खसरा नंबर 22, 27, 29, 30, 32, 73, 74/1, 325, 358/1 रकबा क्रमशः 0.182, 0.069, 0.077, 0.040, 0.162, 0.008, 0.198, 0.101, 0.911 हे. भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/2 बराबर-बराबर अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 27/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई कवचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारीं।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

// सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार //

क्रमांक/2294/वाचक-2/2026
सूरजपुर दिनांक 06/07/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम/नगर ग्रा0पं0 सूरजपुर प0ह0नं0 तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक धमेन्द्र कुमार साहू पिता स्व0 रामकिशून साहू जाति तेली निवासी ग्राम सूरजपुर पोस्ट सूरजपुर थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) नें अपनें दादा स्व0 बहोरन पिता विशेसक जन्म/मृत्यु तिथि 20/05/1982 मृत्यु स्थान सूरजपुर के मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है,जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वंय अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 22/07/2026 दिन बुधवार को उपस्थित होकर दावा / आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 06/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — नायब तहसीलदार उप तहसील मानी तहसील-सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

/ईश्तहार //

रा0प्र0क्र0/अ21(4)/2025-26
ग्राम-नेवरा

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता ग्राम नेवरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरूण कुमार अग्रवाल आ0 रामकुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी केतका रोड सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) के द्वारा आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व की ग्राम नेवरा स्थित व्यपवर्तित भूमि खसरा न0 1793/1 रकबा 0.80 हे0 भूमि को सत्य प्रकाश आ0 अरूण अग्रवाल एवं श्याम प्रकाश आ0 अरूण कुमार अग्रवाल के पक्ष में दान पत्र निष्पादन करने की अनुमति बावत श्रीमान कलेक्टर महोदय सूरजपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से मुलतः जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या कोई संस्था को आपत्ति हो तो दिनांक 22/07/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

सील — नायब तहसीलदार सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,जिला-सूरजपुर

/ईश्तहार //

रा0प्र0क्र0.....ब-121/2025-26

आम जनता ग्राम तेलगांव तिलसिवापारा को सूचित किया जाता है कि आवेदक रवि कुमार पिता स्व0 नन्दलाल जाति रजवार निवासी ग्राम तेलगांव तिलसिवापारा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने पिता स्व0 नन्दलाल पति स्व. जिवधन का मृत्यु दिनांक 08/07/1992 को ग्राम तेलगांव तिलसिवापारा मे मृत्यु होना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, वार्ड का पंचनामा, आधार कार्ड की छाया प्रति सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म / मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था कोई आपत्ति हो तो दिनांक 14/07/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा । तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगीं ।

आज दिनांक 06/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,जिला-सूरजपुर

मनरेगा में पंचायतों का रहस्यमयी बंटवारा!

किसी के पास 18 पंचायत, इंजीनियर के हिस्से सिर्फ 2

बैंकुंठपुर जनपद में तकनीकी सहायकों की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

- 120 पंचायतों का असमान बंटवारा, नियमों पर उठे सवाल
- सबसे अधिक 18 पंचायत होरीलाल के पास, दूसरे नंबर पर नितेश साहू
- शिकायत में तकनीकी सहायक पर ठेकेदारी, दबाव और वसूली के आरोप

जांच की मांग तेज, क्या है पंचायतों के इस बंटवारे का असली खेल?

कहीं 'सेटिंग' के आधार पर तो नहीं बांटी गई जिम्मेदारियां?

तकनीकी सहायक या ठेकेदार? पंचायतों के बंटवारे और शिकायतों ने बढ़ाई मनरेगा की मुश्किलें

मनरेगा में पंचायतों का 'गणित' या 'सेटिंग' का खेल? 120 पंचायतों के बंटवारे ने खड़े किए गंभीर सवाल

किसी के पास 18 पंचायत,किसी के हिस्से सिर्फ 2...बैकुंठपुर जनपद में मनरेगा के कार्य विभाजन पर उठे सवाल

मनरेगा में जिम्मेदारी का असमान बंटवारा! पंचायत आवंटन और तकनीकी सहायकों की भूमिका जांच के घेरे में

मनरेगा में 'मलाईदार' पंचायतों का खेल? कार्य वितरण से लेकर ठेकेदारी के आरोपों तक कई सवाल

क्या मनरेगा में नियम नहीं, 'सेटिंग' से बंटती हैं पंचायतें? बैकुंठपुर जनपद का कार्य विभाजन बना चर्चा का विषय

इंजीनियर के पास सिर्फ दो पंचायत, तकनीकी सहायकों के पास 17-18...आखिर क्या है इस बंटवारे का आधार?

'मनरेगा में पंचायतों का 'गणित' या 'सेटिंग' का खेल? किसी के पास 18 पंचायत, इंजीनियर के हिस्से सिर्फ 2... अब ठेकेदारी के आरोपों ने बढ़ाए सवाल '

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,10 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है,इस योजना में तकनीकी सहायक और मनरेगा इंजीनियर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता, लागत,माप,मूल्यांकन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया इन्हीं के प्रमाणन पर निर्भर करती है,लेकिन कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत में तकनीकी अधिकारियों के बीच पंचायतों के बंटवारे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैकुंठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 120 ग्राम पंचायतें आती हैं, इन पंचायतों के लिए 8 तकनीकी सहायक और एक मनरेगा इंजीनियर पदस्थ हैं, सामान्य रूप से यदि कार्यभार का समान वितरण किया जाए तो प्रत्येक अधिकारी के पास लगभग 13 पंचायतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है, किसी तकनीकी सहायक को 17 से 18 पंचायतों का कार्यभार दिया गया है तो किसी अधिकारी के हिस्से केवल दो पंचायतें आई हैं, यही असमानता अब पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला रही है।

सबसे बड़ा सवाल–कार्य का बंटवारा या प्रभाव का बंटवारा?

जानकारी के अनुसार तकनीकी सहायक होरीलाल के पास सबसे अधिक 18 पंचायतों की जिम्मेदारी है, जबकि नितेश कुमार साहू के पास 17 पंचायतें हैं,दूसरी ओर,मनरेगा की इंजीनियर नेहा सिंह के पास मात्र दो पंचायतों का कार्यभार है,यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि यदि इंजीनियर तकनीकी रूप से सबसे वरिष्ठ और प्रशिक्षित अधिकारी हैं, तो उनके पास केवल दो पंचायतें क्यों हैं? क्या बाकी तकनीकी सहायकों की क्षमता उनसे अधिक है? यदि नहीं,तो फिर पंचायतों का यह असंतुलित वितरण किस आधार पर किया गया? यदि प्रशासन के पास इसका कोई स्पष्ट मापदंड है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए,क्योंकि पारदर्शिता ही संदेह समाप्त कर सकती है।

तकनीकी सहायक आखिर करता क्या है?

आम लोगों को अक्सर लगता है कि तकनीकी सहायक केवल निर्माण कार्य देखने वाला कर्मचारी होता है,जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है,मनरेगा के तकनीकी सहायक की जिम्मेदारियों में कार्यस्थल का निरीक्षण,निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार करना, डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति देना,माप पुस्तिका (एमबी) तैयार करना, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, भुगतान के लिए तकनीकी प्रमाण-पत्र देना,निर्माण कार्यों का मूल्यांकन करना,मजदूरों एवं सामग्री से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करना तथा शासन को तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध कराना शामिल है, यानी करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की तकनीकी जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के कंधों पर रहती है।

कम पंचायत वाले अधिकारी अयोग्य हैं या ज्यादा पंचायत वालों पर विशेष भरोसा?

यदि कार्यभार क्षमता के आधार पर बांटा गया है तो क्या बाकी अधिकारी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं? यदि सभी समान रूप से योग्य हैं तो कार्य का संतुलित वितरण क्यों नहीं किया गया? इस प्रश्न का उत्तर केवल प्रशासन ही दे सकता है, क्योंकि कार्य वितरण में इतनी बड़ी असमानता सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं मानी जाती।

तकनीकी सहायक पर ठेकेदारी के आरोपों ने बढ़ाई गंभीरता

पूरा मामला केवल पंचायतों के असमान वितरण तक सीमित नहीं है, शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ तकनीकी सहायक स्वयं उन्हीं पंचायतों में निर्माण कार्यों से जुड़े रहते हैं, जहां वे तकनीकी मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभाते हैं,विशेष रूप से तकनीकी सहायक पंकज जायसवाल के संबंध में आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन पंचायतों की तकनीकी जिम्मेदारी उनके पास है, उन्हीं क्षेत्रों में वे कथित रूप से निर्माण कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। आरोप यह भी है कि सामग्री उपलब्ध कराने से लेकर कार्य पूर्ण कराने तक उनकी भूमिका रहती है, जबकि तकनीकी मूल्यांकन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है, यदि ऐसा है तो यह केवल प्रशासनिक प्रश्न नहीं बल्कि हितों के टकराव का गंभीर विषय बन जाता है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना अभी शेष है।

एक ही व्यक्ति ठेकेदार भी और मूल्यांकनकर्ता भी?- यदि कोई तकनीकी सहायक किसी निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित रखता हो और वही व्यक्ति उस कार्य का मूल्यांकन भी करे,तो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है,मनरेगा जैसी योजना में तकनीकी अधिकारी का दायित्व निष्पक्ष निरीक्षण करना होता है। यदि शिकायतें सही साबित होती हैं तो यह पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न होगा।

पंचायत व्यवस्था की मजबूरी या अवसर?- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश निर्माण कार्य पंचायत एजेंसी के माध्यम से कराए जाते हैं, कई सरपंच आर्थिक रूप से बड़े निर्माण कार्य कराने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे में आरोप लगते रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग सामग्री उपलब्ध कराने,मजदूर लगाने और निर्माण कार्य पूरा कराने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यदि तकनीकी अधिकारी स्वयं ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएं तो निगरानी और निष्पक्षता दोनों प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

शिकायतें नई नहीं,लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं?- स्थानीय स्तर पर यह चर्चा लंबे समय से होती रही है कि मनरेगा के कुछ कार्यों में तकनीकी अधिकारियों की भूमिका को लेकर शिकायतें उठती रही हैं, यदि शिकायतें निराधार थीं तो उन्हें खारिज कर शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य थे तो अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न केवल संबंधित अधिकारियों पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों में चर्चा—जितनी ज्यादा पंचायत, उतना ज्यादा प्रभाव- ग्रामीण क्षेत्रों में यह धारणा भी आम है कि जिस अधिकारी के पास जितनी अधिक पंचायतें होती हैं, उसका प्रभाव भी उतना अधिक माना जाता है, हालांकि यह केवल जनचर्चा है,लेकिन जब कार्य वितरण में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है तो संदेह स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, ऐसे में जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि पंचायतों के वितरण का आधार क्या था और किन मानकों पर यह जिम्मेदारियां तय की गईं।

मनरेगा की मंशा पर सवाल नहीं,संचालन पर सवाल- मनरेगा देश की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक है, इस योजना से लाखों मजदूरों को रोजगार मिलता है और गांवों में तालाब, सड़क, पुलिया, नाली,चेकडैम,जल संरक्षण एवं अन्य विकास कार्य होते हैं, लेकिन यदि तकनीकी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगें तो सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण जनता और मजदूरों को होता है,योजना पर नहीं,बल्कि उसके संचालन की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

बैकुंठपुर जनपद पंचायत (जिला कोरिया) - तकनीकी सहायक एवं पंचायत आवंटन सारणी

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	आवंटित पंचायतों की संख्या	टिप्पणी
1	होरीलाल	तकनीकी सहायक	18	सर्वाधिक पंचायत
2	नितेश कुमार साहू	तकनीकी सहायक	17	दूसरा सर्वाधिक कार्यभार
3	दीपक सिंह	तकनीकी सहायक	13	जानकारी अपेक्षित
4	क्षितिज सिंह	तकनीकी सहायक	10	जानकारी अपेक्षित
5	मनहरण सिंह	तकनीकी सहायक	12	जानकारी अपेक्षित
6	पंकज जायसवाल	तकनीकी सहायक	13	कार्यक्षेत्र को लेकर प्रश्न
7	सत्य प्रकाश साहू	तकनीकी सहायक	14	जानकारी अपेक्षित
8	वर्षा रवि	तकनीकी सहायक	11	जानकारी अपेक्षित
9	नेहा सिंह	मनरेगा इंजीनियर	2	सबसे कम पंचायत

मुख्य तथ्य

विवरण	संख्या
कुल ग्राम पंचायत	120
कुल तकनीकी सहायक	8
मनरेगा इंजीनियर	1
कुल तकनीकी अधिकारी	9
औसतन प्रत्येक अधिकारी के हिस्से आनी चाहिए थीं पंचायतें	लगभग 12
सर्वाधिक पंचायत	18 (होरीलाल)
दूसरा सर्वाधिक	17 (नितेश कुमार साहू)
सबसे कम	2 (इंजीनियर नेहा सिंह)

अब प्रशासन के सामने कई अहम प्रश्न

अब जिला प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि 120 पंचायतों का वितरण किस नियम और किस प्रक्रिया के तहत किया गया,मनरेगा इंजीनियर को मात्र दो पंचायतें देने का औचित्य क्या है? कुछ तकनीकी सहायकों को 17 और 18 पंचायतें क्यों सौंपी गईं? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? क्या तकनीकी सहायकों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? यदि किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी?

जनहित में जरूरी है पारदर्शिता- यह मामला केवल पंचायतों के बंटवारे का नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपये की ग्रामीण विकास योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का है, यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है तो जिला पंचायत को पंचायत आवंटन का पूरा आधार सार्वजनिक करना चाहिए, यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मनरेगा का पैसा सरकार का नहीं, जनता का है,इसलिए इसकी प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक निर्माण और प्रत्येक तकनीकी स्वीकृति जनता के विश्वास के अनुरूप होनी चाहिए। जब तक प्रशासन स्वयं इन सवालों का स्पष्ट और तथ्यात्मक उत्तर नहीं देता,तब तक पंचायतों के इस असमान बंटवारे और तकनीकी सहायकों की भूमिका को लेकर उठ रहे संदेह समाप्त होना कठिन दिखाई देता है।

भाषा बनी रिश्तों की डोर,सखी वन स्टॉप सेंटर की पहल से एक माह बाद परिवार से मिली मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला

सादरी भाषा में बातचीत ने सुलझाई पहचान की गुत्थी..

-संवाददाता-

सूरजपुर,10 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कई बार एक अनजान भाषा भी किसी बिछड़े हुए इंसान को उसके अपनों से मिला देती है,सूरजपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर ने संवेदनशीलता,धैर्य और सूझबूझ का ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक महीने से परिवार से बिछड़ी मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को उसके परिजनों से मिलाने में सफलता हासिल की। महिला की पहचान उसकी बोली के आधार पर की गई और अंततः वह अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंच सकी।

पहचान बताने की स्थिति में नहीं थी महिला- जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के शिवसागरपुर में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला मिली थी। महिला अपनी पहचान बताने की स्थिति में नहीं थी,वह न तो छत्तीसगढ़ी समझ पा रही थी, न हिंदी और न ही सरगुजिहा भाषा में कोई स्पष्ट जवाब दे पा रही थी,ऐसे में उसकी पहचान करना और उसके परिजनों तक पहुंचना सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

सादरी भाषा बनी उम्मीद की किरण- महिला की काउंसलिंग के दौरान सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने उसकी बातचीत पर बारीकी से ध्यान दिया, इसी दौरान टीम को एहसास हुआ कि महिला सादरी भाषा समझती और बोलती है, इसके बाद काउंसलर्स ने उसी भाषा में महिला से संवाद शुरू किया,धीरे-धीरे महिला सहज हुई और बातचीत के दौरान उसने अपने गांव का नाम बेलकोना,शंकरगढ़ (जिला बलरामपुर) बताया,यहीं से उसकी पहचान की गुत्थी सुलझनी शुरू हुई।

जनप्रतिनिधियों की मदद से मिला परिवार- महिला द्वारा बताए गए गांव के आधार पर सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने शंकरगढ़ के उपसरपंच से संपर्क किया, उनकी सहायता से बेलकोना गांव के सरपंच तक जानकारी पहुंचाई गई, सत्यापन के बाद पता चला कि महिला पिछले लगभग एक महीने से लापता थी और उसके परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर ने महिला के परिवार को सूचना दी कि वह सूरजपुर में सुरक्षित है।

एक महीने बाद भाई से मिलते ही छलक पड़े खुशी के आंसू- सूचना मिलने के बाद महिला का भाई तत्काल सूरजपुर पहुंचा,करीब एक महीने बाद जब भाई-बहन आमने-सामने आए तो दोनों की आंखें खुशी और भावुकता से भर उठीं। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर गया, परिजनों ने बताया कि महिला अपने पति के साथ घर से निकली थी,जिसके बाद वह लापता हो गई थी। परिवार को लगा कि वह अपने पति के साथ ही होगी,लेकिन समय बीतने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई,सखी वन स्टॉप सेंटर से फोन आने के बाद परिवार की उम्मीदें फिर से जाग उठीं।

संवेदनशीलता और धैर्य से लौटी एक परिवार की खुशियां- सखी वन स्टॉप सेंटर की इस पहल ने यह साबित कर दिया कि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संवेदनशीलता,धैर्य और सही संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है।

यदि टीम केवल भाषा की कठिनाई को बाधा मानकर प्रयास छोड़ देती,तो संभवतः महिला अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाती।

सखी वन स्टॉप सेंटर की पहल बनी मिसाल- इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश दिया है कि मानवता की सेवा केवल औपचारिक जिम्मेदारी नहीं,बल्कि संवेदनशील प्रयासों से निभाई जाने वाली सामाजिक जिम्मेदारी भी है,सूरजपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नीयत और प्रयास सच्चे हों,तो भाषा की दीवार भी रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बन सकती है,एक महीने से बिछड़े परिवार को मिलाने की यह पहल न केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि समाज के लिए भी यह प्रेरणादायक संदेश है कि हर प्रयास किसी की जिंदगी में खुशियां वापस ला सकता है।

जनसेवा और विकास के संकल्प के साथ नवनियुक्त एल्डरमैन ने ली शपथ

बलरामपुर,10 जुलाई 2026(घटती-घटना)। नगर पालिका परिषद बलरामपुर के नवनियुक्त एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय बाजारपारा स्थित ऑडिटोरियम भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आदिम जाति,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण,मछली पालन तथा पशुपालन मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों के द्वारा नवनियुक्त एल्डरमैनों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।समारोह में नवनियुक्त एल्डरमैन श्री लाला लकड़ा,श्री गोपाल मिश्रा,श्री राजेश श्रीवास्तव,श्री राजेश गुप्ता,श्री मनोज गुप्ता तथा श्रीमती सीमा सोनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर नगर के विकास और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

CMYK

मेडिकल कॉलेज परिसर बना हरित विकास का प्रतीक

स्वास्थ्य मंत्री ने किया पौधरोपण, तेंदूपत्ता बोनस चेक वितरित, 'तुहर पौधा तुहर द्वार' वाहन को दिखाई हरी झंडी

इसी वर्ष मेडिकल कॉलेज संचालन का लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदीलन बनाने का किया आह्वान

- 16 लाख पौधरोपण और 2 लाख पौधों के नि:शुल्क वितरण का लक्ष्य
- 11 लघु वनोपज समितियों को वितरित किए तेंदूपत्ता बोनस चेक
- नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस सेंटर, अस्पताल सहित कई विकास कार्य प्रगति पर
- हरित संकल्प अभियान से जुड़ेंगे नागरिक, व्हाट्सएप पर भेज सकेंगे फोटो

परसगढ़ी मेडिकल कॉलेज परिसर | एमसीबी, 10 जुलाई 2026

वन महोत्सव-2026 के तहत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में किया पौधरोपण

तेंदूपत्ता बोनस चेक वितरित, 'तुहर पौधा तुहर द्वार' वाहन को दिखाई हरी झंडी, 16 लाख पौधरोपण और 2 लाख पौधों के नि:शुल्क वितरण का लक्ष्य

-संवाददाता-
एमसीबी,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले के परसगढ़ी स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर शुक्रवार को हरियाली,पर्यावरण संरक्षण और विकास के संकल्प का केंद्र बन गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव-2026 के अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए वर्ष 2023 का बोनस चेक वितरित किया तथा 'तुहर पौधा तुहर द्वार' योजना के अंतर्गत जिले के नागरिकों तक पौधे पहुंचाने वाले विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी तथा आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदना के साथ हुआ, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों एवं नागरिकों ने चंदन, मौलश्री,अशोक,आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया,पूरे परिसर में पौधरोपण अभियान के साथ यह संदेश दिया गया कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं,बल्कि उनका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

हर नागरिक लगाए एक पौधा,आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाए-अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधरोपण करना नहीं,बल्कि प्रत्येक नागरिक को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है, उन्होंने कहा कि हर परिवार यदि अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाए और उसे पेड़ बनने तक सुरक्षित रखे तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है, उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चुनौतियों का सबसे प्रभावी समाधान वृक्षारोपण और हरियाली बढ़ाना है, पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार करते हैं।

हरित संकल्प अभियान से जुड़ेगा जनसहभागिता का नया मॉडल-वन विभाग ने इस वर्ष हरित संकल्प अभियान भी प्रारंभ किया है, इसके तहत नागरिक अपने लगाए गए पौधों के साथ फोटो लेकर विभाग के व्हाट्सएप नंबर 8770045481 पर भेज सकते हैं, विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा सर्वाधिक पौधे लगाने और उनका बेहतर संरक्षण करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, वन विभाग का मानना है कि इससे लोगों में पौधों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और पौधरोपण अभियान केवल औपचारिकता बनकर नहीं रह जाएगा।

इसी वर्ष शुरू होगा मेडिकल कॉलेज,स्वास्थ्य सुविधाओं में आएगा बड़ा बदलाव

स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि परसगढ़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण में है और सरकार का लक्ष्य इसी वर्ष इसका संचालन प्रारंभ करना है,उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज एमसीबी जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा,उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद एमसीबी, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा,वहीं मरीजों को भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक हरियाली और पहाड़ियों के बीच विकसित हो रहा यह मेडिकल कॉलेज प्रदेश के सबसे सुंदर मेडिकल कॉलेज परिसरों में अपनी अलग पहचान बनाएगा, इसके साथ ही क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं,रोजगार,शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क और बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी विशेष पहचान

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के समीप स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण धरोहर है,इसके कारण यह क्षेत्र केवल चिकित्सा शिक्षा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनेगा,उन्होंने बताया कि पाराडोल और चिरमिरी रेलवे स्टेशनों की निकटता के कारण मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना भी आसान होगा। भविष्य में यह संस्थान पूरे क्षेत्र के लिए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनेगा।

वन महोत्सव के तहत 16 लाख पौधों का रोपण,2 लाख पौधे घर-घर पहुंचाए जाएंगे...

वनमंडलाधिकारी चन्द्र कुमार अग्रवाल ने स्वागत भाषण में बताया कि वन महोत्सव-2026 के दौरान पूरे जिले में 16 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, इसके साथ ही 'तुहर पौधा तुहर द्वार' योजना के माध्यम से 2 लाख पौधे निःशुल्क जिले के नागरिकों तक पहुंचाए जाएंगे, उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल सरकारी स्तर पर पौधरोपण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार को पर्यावरण संरक्षण अभियान से जोड़ना है। नागरिक अपने घर, खेत, विद्यालय, कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने में भागीदारी निभा सकते हैं।

11 लघु वनोपज समितियों को मिला तेंदूपत्ता बोनस-कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने जिले की 11 लघु वनोपज सहकारी समितियों को वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्रहण का बोनस चेक वितरित किया,उन्होंने कहा कि यह राशि समितियों के माध्यम से सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों तक पहुंचेगी,जिससे वन आश्रित परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एमसीबी जिले में तेजी से आगे बढ़ रहे विकास कार्य- स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी,उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अलावा नर्सिंग कॉलेज,फिजियोथेरेपी कॉलेज,मानसिक रोग अस्पताल,डायलिसिस सेंटर,पॉलीटेक्निक कॉलेज,हॉर्टिकल्चर कॉलेज, नालंदा परिसर,220 बिस्तरों वाले अस्पताल तथा हसदेव नदी पर पुल निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा रहे हैं,उन्होंने यह भी बताया कि सिद्धेश्वर मंदिर तक लगभग छह किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विकसित भारत के संकल्प में पर्यावरण संरक्षण की अहम भूमिका

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना,जल जीवन मिशन,महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और सतत विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी,उन्होंने कार्यक्रम के अंत में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे को आगे बढ़ाते हुए 'जय जवान,जय किसान,जय विज्ञान,जय अनुसंधान' का उद्घोष किया और सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया,कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला अध्यक्ष श्रीमती चंपादेवी पावले,जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह,महापौर राम नरेश राय, कलेक्टर संतन देवी जांगड़े,पुलिस अधीक्षक रतना सिंह,कमांडेंट संजय शर्मा, वनमंडलाधिकारी चन्द्र कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम,अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार,विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी,जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

आत्महत्या प्रकरण : फरार तीन आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, सूचना देने वाले को 5 हजार का इनाम

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने की नगद पुरस्कार की घोषणा, पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का आश्वासन

-संवाददाता-
बैकुण्ठपुर/कोरिया,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

थाना बैकुण्ठपुर क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी छात्रा की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोरिया पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे (भा.पु.से.) ने फरार आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

आत्महत्या प्रकरण में दर्ज हुआ गंभीर अपराध- पुलिस के अनुसार, 9 जुलाई 2026 को शिवनाथ पैकरा, निवासी पुलिस लाइन बैकुण्ठपुर ने थाना बैकुण्ठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री पर आईसी मार्ट में चोरी का आरोप लगाया गया,आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उससे 50 हजार की मांग की, उसकी स्कूटी अपने कब्जे में ले ली तथा कथित रूप से प्रताड़ित किया, जिससे आहत होकर नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली,शिकायत के आधार पर थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107,308(2), 309(4), 296 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(ङ्क) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है।

तीनों आरोपी अब भी फरार- पुलिस ने इस मामले में जिन आरोपियों को नामजद किया है, उनमें विनोद बैद (पिता स्व. इन्द्रचंद बैद),जगत कुमार बैद (पिता स्व. इन्द्रचंद बैद),दीपक बैद (पिता जगत कुमार बैद),सभी निवासी कुमार चौक, बैकुण्ठपुर शामिल हैं,पुलिस के अनुसार घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं।

इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना-फरार आरोपियों के संबंध में सूचना निम्न नंबरों पर दी जा सकती है...

- *पुलिस अधीक्षक,कोरिया: 9479193700*
- *एसडीओपी, बैकुण्ठपुर: 9479193704*
- *थाना प्रभारी,आजाक थाना बैकुण्ठपुर: 9479193705*
- *पुलिस कंट्रोल रूम: 9479193799*

मामले पर जिलेभर की नजर-आत्महत्या प्रकरण पहले से ही जिलेभर में चर्चा का विषय बना हुआ है, अब पुलिस द्वारा इनाम की घोषणा के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई और तेज होने की संभावना है, मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आदिवासी समाज ने न्याय की मांग को लेकर प्रशासन पर बढ़ाया दबाव

पूर्व विधायक गुलाब कमरो के नेतृत्व में कलेक्टर-एसपी को सौंपा ज्ञापन,नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी सहित कई मांगें उठाईं

-संवाददाता-
बैकुंठपुर/कोरिया,10 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बैकुंठपुर में आदिवासी समाज की एक युवती की आत्महत्या के मामले में दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा,पूर्व विधायक एवं सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो के नेतृत्व में समाज के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में सदस्यों ने कोरिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा तथा मामले में निष्पक्ष जांच और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की मांग की,प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग-सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की रखी,समाज का कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बढ़ेगी,इसलिए पुलिस बिना विलंब किए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

आईसी मार्ट के अवैध निर्माण की निष्पक्ष जांच हो- प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से आईसी मार्ट के कथित अवैध निर्माण की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, समाज ने कहा कि यदि निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए- सर्व आदिवासी समाज ने प्रशासन से मांग की कि प्रभावित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार का भय या दबाव उनके ऊपर न रहे, समाज का कहना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल अपराध की जांच तक सीमित नहीं है,बल्कि पीड़ित परिवार को हर स्तर पर संरक्षण और सहयोग मिलना भी आवश्यक है।

निष्पक्ष जांच कर दोषियों को मिले कठोर दंड- ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों को कठोर दंड दिलाया जाए। समाज ने कहा कि ऐसी घटनाओं में त्वरित न्याय न केवल पीड़ित परिवार को राहत देता है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत करता है।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी-प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि यदि मामले में समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व आदिवासी समाज लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। समाज ने कहा कि न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

'आदिवासी बेटी को न्याय मिले' का बुलंद हुआ स्वर-ज्ञापन सौंपते समय समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और दोषियों को कानून के दायरे में लाने की है, उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताते हुए कहा कि आदिवासी समाज अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एकजुट है।

बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी रहे मौजूद-ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक एवं सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक गुलाब कमरो, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष विजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, कंवर समाज के जिलाध्यक्ष मनियार सिंह, आदिवासी कांग्रेस एमसीबी के जिलाध्यक्ष अमोल सिंह,जनपद अध्यक्ष बैकुंठपुर उदय प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल,जनपद सदस्य प्रकाश चंद्र पैकरा,डॉ. आर.एस. चंदे, अमर सिंह, जितेंद्र पैकरा, अविनाश पाठक, सुरेश इक्का सहित सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, सदस्य एवं अन्य समाजों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

CMYK

1200 करोड़ रुपये होने के बावजूद राजपाल यादव क्यों नहीं चुका रहे कर्ज?

चेक बाउंस मामले में एक्टर ने खुद किया था खुलासा

राजपाल यादव ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें काम खोजने या पैसे कमाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद वे कर्ज क्यों नहीं चुका रहे,इसका जवाब उन्होंने खुद दिया था।

शुक्रवार,10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को उनके खिलाफ चल रहे सात चेक बाउंस मामलों में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला,मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनकी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म अता-पता लापता के लिए 2010 में इस कंपनी से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। जहां एक तरफ राजपाल यादव ने 10 दिन जेल की सजा काटने के बाद खुलासा किया था कि उनके पास 1200 करोड़ रुपये का काम है वहीं उन्हें फिर से सजा होने पर लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इतना पैसा और काम होने के बावजूद राजपाल यादव अपना कर्ज क्यों नहीं चुका रहे?

राजपाल के पास हैं 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स

राजपाल यादव ने दावा किया कि उनके पास 1200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। फरवरी 2026 में, उसी चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में 10 दिन बिताने के बाद, एक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि उनके पास अगले सात सालों के लिए काम है। उन्होंने कहा,अगले सात सालों में मेरे पास ब्रांडिंग के लिए 1,200 करोड़ रुपये का काम है। मेरे पास चार एग्रीमेंट हैं। इसमें फिल्में शामिल नहीं हैं। कुछ प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये के हैं,तो कुछ 2,000 करोड़ रुपये के। इसमें कुछ फीस है और कुछ प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है। मेरे पास 10 फिल्में लाइन में हैं।

राजपाल यादव क्यों नहीं चुका रहे अपना कर्ज?

1 मार्च को राजपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की और उस कानूनी मामले के बारे में बताया जिसने उनके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। राजपाल ने कहा कि यह समझौता पूरी तरह से जुबानी था और भरोसे पर आधारित था; उन्होंने इसे घर का मामला बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म रिलीज होने के बाद ₹8 करोड़ लौटाने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि समझौता करते समय कोई वकील शामिल नहीं था।

राजपाल ने लड़ाई को बताया ईगो क्लैश

एक्टर ने खुलासा किया,जब यह डील हुई, तो भास्कर जी (राजपाल के वकील) इसमें शामिल नहीं थे। मैंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अगर मैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखूं,तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई न कोई कमी या लूपहोल मिल जाएगा। जब यह डील हुई,तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामला कोर्ट तक जाएगा। यह लड़ाई ईगो की है। वह व्यक्ति चाहता है कि मैं ₹5 करोड़ के बदले उसके पैरों में गिरूं। उसे पैसे नहीं चाहिए,अगर बात पैसों की होती, तो मैं 2013 से ही पैसे देने को तैयार हूं। पैसे सबसे पहले मेरे पास आए थे। मैं लक्ष्मी नगर ऑफिस गया और बिना पढ़े ही कागजों पर आंख बंद करके साइन कर दिए। वहां मुझसे गलती हुई। एक्टर ने आगे कहा,क्योंकि यह 'घर का मामला' था,इसलिए मैंने वकीलों को शामिल नहीं किया। कभी-कभी,आप कागजी कार्रवाई से ज्यादा लोगों की बातों और रिश्तों पर भरोसा करते हैं। मैंने सोचा जिस आदमी की नेट वर्थ ₹1,000 से ₹1,500 करोड़ के बीच है,उसने मुझे एक फोन कॉल पर कुछ ही मिनटों में ₹5 करोड़ दे दिए;तो वह मेरे खिलाफ केस क्यों करेगा? इसमें कोई वकील शामिल नहीं था,और मेरी पत्नी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हमारी सहमति यह बनी थी कि फिल्म रिलीज होने के बाद, उन्हें ₹5 करोड़ के बजाय ₹8 करोड़ मिलेंगे,और बाकी पैसे मेरे होंगे। फिल्म ने ₹1 करोड़ कमाएज इससे पहले कि राजपाल अपनी बात पूरी कर पाते,उनके वकील ने उन्हें बीच में रोका और कहा, अगर आप कहते हैं कि उस आदमी पर भरोसा करना एक गलती थी, तो राजपाल यादव ने वह गलती की है

राजपाल यादव का वर्कफ्रंट

राजपाल यादव की हालिया रिलीज फिल्म वेलकम टू द जंगल है जिसमें वे अक्षय कुमार समेत 34 कलाकारों की टोली के साथ नजर आए हैं। वहीं वे पिछली बार भूत बंगला में भी नजर आए थे। इसके अलावा वे वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का भी हिस्सा थे।

क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला?

2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली की एक कंपनी से ₹5 करोड़ का लोन लिया था। हालांकि,फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और वे रकम नहीं चुका पाए, जिससे कानूनी विवाद शुरू हो गया। 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सजा सुनाई। 2019 में इस फैसले को बरकरार रखा गया और कर्ज की रकम बढ़कर ₹9 करोड़ हो गई।फरवरी में, बकाया रकम न चुका पाने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बाद में, शिकायतकर्ता के वकील की पुष्टि के बाद ₹1.5 करोड़ जमा करने पर उन्हें 16 फरवरी को अंतरिम जमानत मिल गई। हाल ही में एक्टर ने लोन की रकम का इंतजाम करने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी और उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई।

धमाल 4 में बिना ऑडिशन कैसे हुई एंट्री रणवीर सिंह की ऑनस्क्रीन बहन की ?

अंजलि आनंद ने बताया पर्दे के पीछे का दिलचस्प किस्सा

धमाल 4 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, इस बीच फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली अंजलि आनंद ने बताया कि उन्हें फिल्म में रोल बिना किसी ऑडिशन के कैसे मिला? पहले मैंने टेलीविजन पर काम किया था,इसलिए जो लोग टीवी देखते थे,वे मुझे जानते थे। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ज्े यादा लोग मुझे नहीं जानते थे। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने मेरे लिए यह बदल दिया। इंडस्ट्री के लोग मुझे पहचानने लगे। अब किसी को दोबारा परिचय नहीं देना पड़ता है। यह कहना है अभिनेत्री अंजलि आनंद का। वह शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म धमाल 4 में कामेडी करती दिखेंगी।

बिना ऑडिशन के धमाल 4 में कैसे हुई अंजलि की एंट्री?

धमाल 4 से जुड़ने को लेकर वह कहती है कि मुझे लगता है कि यह फिल्म मेरे हिस्से में आनी ही थी। जब मेरी डायरेक्टर इंद्र कुमार से मुलाकात हुई, तो हमने करीब ढाई घंटे तक फिल्म की बात ही नहीं की। हम उनकी पुरानी फिल्मों के बारे में बातें करते रहे। फिर उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा,मुझे तुम्हारा आडिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इस फिल्म का हिस्सा हो। मुझे लगता है कि उन्होंने फिल्मों के प्रति मेरा प्यार देखा। उन्होंने मेरा दूसरा कोई काम भी नहीं देखा था,लेकिन शुरू से ही मुझ पर भरोसा किया।

फिल्म में अजय देवगन,अरशद वारसी,रितेश देशमुख,रवि किशन,संजय मिश्रा समेत कई बेहतरीन कॉमेडी करने वाले कलाकार हैं। उनके साथ काम करने को लेकर अंजलि कहती हैं कि बचपन से धमाल,भागम भाग,भूल भुलैया, गोलमाल से लेकर फिर हेरा फेरी तक मैंने सारी कॉमेडी फिल्में देखी हैं। ये मेरे दोस्तों की भी पसंदीदा फिल्में हैं। उनके डायलॉग आज भी हम सबको जुबानी याद हैं। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही थी, जब मुझे भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और मैं यह साबित कर पाऊंगी कि मैंने इन सभी फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है।

रितेश देशमुख का ये सीन कभी नहीं भूलतीं अंजलि

अंजलि ने आगे कहा,अब उनके साथ परफार्म करने को मिल रहा है। सच कहूं तो मेरा अंदर का बच्चा बहुत खुश था। रितेश देशमुख से जब मैं पहली बार से मिली,तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो फिल्म हे बेबी में शावर वाले सीन में गाना गाया था,उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं। वह सीन मेरे और मेरे दोस्तों के बीच आज भी सबसे पसंदीदा है। हम अक्सर उस सीन की नकल करते हैं।

बन टिक्की में कैसा रहा जीनत अमान के साथ एक्सपीरियंस

फिल्म बन टिक्की में जीनत अमान के साथ काम के अनुभवों पर वह कहती हैं कि शादी से पहले मेरी मां उनकी बॉडी डबल हुआ करती थीं। शबाना आजमी ने उन्हें बताया था कि मैं उनकी बेटी हूं। उन्हें यह बात याद रही। मेरी मां हमेशा से उनकी बहुत बड़ी फैन रही हैं और उन्होंने मुझे उनके बारे में कई किस्से सुनाए हैं।
मेरी मां बैकग्राउंड डांसर,असिस्टेंट कोरियोग्राफर और बाडी डबल के तौर पर काम करती थीं। उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी,इसलिए जो भी काम मिलता था, वह कर लेती थीं।

मां को देना चाहती हूं अच्छे दिन- अंजलि

वेब सीरीज डब्बा कार्टेल की स्क्रीनिंग के समय भी मां मेरे साथ आई थीं। वहां उन्हें उनके पुराने साथी कलाकार मिले थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात रेखाजी जी से भी हुई। दोनों बहुत प्यार से मिलीं, क्योंकि वे पहले साथ काम कर चुकी थीं। हालांकि मेरी मां का पिछले 25-30 सालों से इंडस्ट्री में किसी से कोई संपर्क नहीं था। मेरे पिताजी के निधन के बाद तो जैसे सब रिश्ते ही टूट गए थे। किसी को यह भी नहीं पता था कि हम लोग कहां हैं और कैसे हैं। मेरी मां ने जीवन में बहुत कठिन दिन देखे हैं। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें अच्छे दिन दूं।
धमाल 4 ने 20 जुलाई को सिनेमाघरों में एंट्री की है, इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी की चौकड़ी फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है।

वरुण तेज,रितिका नाइक स्टारर कोरियन कनकराजू 7 अगस्त को स्क्रीन पर आएगी

डायरेक्टर मेरलापाका गांधी की बेसब्री से इंतज़ार की जा रही हॉरर कॉमेडी फिल्म कोरियन कनकराजू के मेकर्स ने शुक्रवार को अनाउंस किया कि यह फिल्म अब इस साल 7 अगस्त को दुनिया भर में स्क्रीन पर आएगी।
याद हो कि मेकर्स ने इस साल अप्रैल में फिल्म के बहुत पॉपुलर सिंगल कमसाहमनिदा का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो रिलीज़ किया था। यह गाना, जिसका म्यूज़िक थमन ने दिया है, 11 अप्रैल को रिलीज़ हुआ था। मेकर्स ने इस साल मार्च में कोरिया में फिल्म की शूटिंग के आखिरी शेड्यूल के शुरू होने का अनाउंसमेंट किया था। फिल्म की यूनिट के करीबी सूत्रों ने को बताया था कि टीम ने कोरिया में एक हफ़्ते के ज़रूरी शेड्यूल की ध्यान से प्लानिंग की थी।
इस दौरान, मेकर्स ने कुछ खास सीन के साथ गाने भी शूट किए। इस शेड्यूल में वरुण तेज,रितिका नायक और सत्या थे। इस शेड्यूल के दौरान कुछ सीन कोरियन जगहों पर शूट किए गए। बड़े बजट में बनी यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी के साथ एक रिफ्रेशिंग क्रॉस-कल्चरल ट्विस्ट के साथ है, जो इंडियन और कोरियन दोनों बैकग्राउंड में सेट है। सोर्स का दावा है कि वरुण तेज बिल्कुल नए अवतार में दिखेंगे और उनका किरदार उनके पहले निभाए गए किसी भी किरदार से अलग होगा।
वरुण तेज के जन्मदिन पर रिलीज़ हुई टाइटल झलक के साथ ही फिल्म ने ज़बरदस्त चर्चा बटोरी थी। टाइटल झलक की शुरुआत इंडिया के एक फोटोग्राफर से होती है जिसे कोरिया में पुलिसवाले टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस वाले चाहते हैं कि फोटोग्राफर उन्हें कनकराजू नाम के एक आदमी की लोकेशन की डिटेल्स दे। शुरू में, फोटोग्राफर को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि उसे भाषा नहीं आती। जब एक इंटरप्रेटर (रितिका नायक) आती है और पुलिस जो उससे पूछ रही है उसे ट्रांसलेट करती है, तो वह कहता है कि उसे नहीं पता कि कनकराजू कहाँ है। लेकिन फिर, पूर्णिमा की रात को, एक भूत से ग्रस्त कनकराजू (वरुण तेज) स्टेशन में घुसता है और कोरियाई पुलिसवालों को समुराई तलवार से काटकर मार डालता है। वह अजीब तरह से हंसता है और कोरियाई भाषा में कहता है, मैं वापस आ गया हूं, जिससे फोटोग्राफर कहता है, यह कनकराजू हमारा कनकराजू नहीं है।

बारिश और व्हाइट कपड़ों की दीवानी हैं मनत फेम आयशा सिंह,बोलीं...शूट के बाद भीगने चली गई...

टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह इन दिनों अपने सीरियल मनत~ हर खुशी पाने की को लेकर सुर्खियों में हैं। शो की कहानी, उनका किरदार और अभिनय दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। इसी बीच आयशा ने खुलासा किया कि उन्हें बारिश का मौसम बेहद पसंद है। इतना ही नहीं,जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह बारिश में भीगने निकल जाती हैं।आयशा ने कहा,शूट खत्म होते ही मैं बारिश में चली गई। मैंने टीम से पूछा कि क्या मैं भीग सकती हूं? उन्होंने हां कहा। फिर मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया।

बारिश की बूंदें एक अलग सुकून देती हैं। उनके इस बयान से साफ है कि वह इस मौसम का भरपूर आनंद लेती हैं।जहां बारिश के मौसम में कई सेलेब्स व्हाइट कपड़े पहनने से बचते हैं क्योंकि भीगने के बाद वे ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं,वहीं आयशा की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, मुझे व्हाइट आउटफिट बहुत पसंद हैं। व्हाइट पर मैं फिदा हूं। बारिश के साथ व्हाइट कपड़ों का कॉम्बिनेशन कैमरे पर सबसे खूबसूरत लगता है।हालांकि,आयशा को शॉर्ट्स, टी-शर्ट और फ्लिप-फ्लॉप वाला कैजुअल स्टाइल भी काफी पसंद है। अगर उनके शो की बात करें, तो मनत~ हर खुशी पाने की की शुरुआत पिछले साल जनवरी में हुई थी और यह कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है। शो की कहानी मनत नाम की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है,जिसका सपना शेफ बनने का है। हालांकि उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, जो उसकी जिंदगी बदल देती हैं। इसके बावजूद वह हार नहीं मानती और अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ी रहती है।

खेल समाचार

इतिहास रचेगा बिग बैश लीग

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर क्रिकेट लीग बिग बैश लीग (बीबीएल) इस बार क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा करने जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। लीग का नया सीजन इसी साल दिसंबर में शुरू होने वाला है। आमतौर पर किसी भी देश की घरेलू क्रिकेट लीग का पहला और आखिरी मैच उसी देश में खेला जाता है,लेकिन इस बार बीबीएल ने एक अनोखा फैसला लिया है।

भारत में होगा पहला मुकाबला

क्रिकेट प्रेमियों को हैरान करते हुए लीग के आयोजकों ने तय किया है कि आने वाले सीजन का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बल्कि भारत में खेला जाएगा। यह फैसला बेहद चौंकाने वाला और नया माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले किसी भी विदेशी टी-20 लीग ने अपने सीजन की शुरुआत भारत की धरती से नहीं की है।

क्रिकेट इतिहास में पहली बार

इस ऐतिहासिक कदम से भारत में मौजूद बिग बैश लीग के प्रशंसकों को स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच देखने का मौका मिलेगा। हालांकि,मैच किन टीमों के बीच होगा और भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। बीबीएल का यह अनोखा प्रयोग दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है।

सलीमा टेटे 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम की करेंगी कप्तानी

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को आगामी 20वें एशियाई खेल आइची-नागोया 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। ये खेल जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने हैं। हॉकी इंडिया की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सलीमा टेटे टीम की कप्तानी जारी रखेंगी;उन्होंने पिछले महीने न्यूजीलैंड में स्ब्द्ध॥ नेशंस कप में टीम को जीत दिलाई थी।चुनी गई 20 सदस्यीय टीम पर अपने विचार साझा करते हुए टीम के मुख्य कोच स्योर्ड मारिजने ने कहा, ÷हमारे पास एक ऐसा समूह है जिसमें जूनियर, अनुभवी खिलाड़ियों और सीनियर खिलाड़ियों के बीच अच्छा संतुलन है, और वे एक-दूसरे से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली सविता और बिचू देवी खारीबाम को टीम में दो गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। डिफेंस में सुशीला चानू पुखरामबम, इशिका चौधरी और ज्योति शामिल हैं। इनके अलावा लालथंतलुंगी और शिल्पी डबास भी हैं, जिन्होंने एफ आईएच नेशंस कप के दौरान सीनियर टीम में डेब्यू किया था और टूर्नामेंट में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें यह मौका मिला; भारत ने यह टूर्नामेंट बिना कोई मैच हारे जीता था। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा,सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग होंगी।फॉरवर्ड लाइन में लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल,नवनीत कौर, दीपिका,इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। मुख्य कोच मारिजने ने आगे कहा, खिलाड़ियों के इस समूह ने दिखाया है कि हाल के महीनों में उनका फॉर्म और फिटनेस सही रहा है। हमें भरोसा है कि यह टीम एशियाई खेलों की चुनौती के लिए तैयार है। 20वें एशियाई खेल आइची-नागोया 2026 के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम गोलकीपर : सविता, बिचू देवी खारीबाम डिफेंडर:इशिका चौधरी,सुशीला चानू पुखरंबम,लालथंतलुआंगी,ज्योति, शिल्पी डबास मिडफील्डर: निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (सी),नेहा,दीपिका सोरेंग फॉरवर्ड : लालरेम्सियामी,रुतुजा दादासो पिसल,नवनीत कौर,दीपिका,इशिका,बलजीत कौर,ब्यूटी डुंगडुंग।

फीफा विश्व कप से पहले मोरक्को को बड़ा झटका

सैबारी फ्रांस के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल से बाहर

नई दिल्ली,10 जुलाई 2026। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोट के कारण इस अहम मैच से बाहर हो गए हैं।
मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआबी ने गुरुवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैबारी के बाहर होने की पुष्टि की। ओआबी के अनुसार, कनाडा के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की जीत के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगने के बाद यह फॉरवर्ड समय पर ठीक नहीं हो सका। हालांकि,कोच को उम्मीद है कि अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो 25 वर्षीय खिलाड़ी फिट हो जाएगा।
मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओआबी ने कहा, वह तैयार नहीं हैं,लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए टूर्नामेंट का अंत नहीं है।
सैबारी मौजूदा टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने ग्रूप स्टेज के तीनों मैचों में गोल किए और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक शूटआउट में पेनल्टी को गोल में बदला। उनकी अनुपस्थिति के कारण मोरक्को को 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम के खिलाफ अधिक रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ सकती है।
फीफा ने फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से अर्जेंटीना के अधिकारियों की टीम नियुक्त करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 2026 टूर्नामेंट में यह पहली बार है जब किसी मैच का संचालन पूरी तरह से एक ही देश के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि,मोरक्को के कोच ने अधिकारियों के प्रभाव को कम करके आंका है।
मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरी के बारे में उन्होंने कहा, हम एक बहुत अनुभवी रेफरी की बात कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं। हम इस तरह के मैचों के लिए अनुभवी रेफरी चाहते हैं। इसलिए हम बहुत शांत हैं। नीदरलैंड्स का सामना करने से पहले हमारे मैच में एक डच रेफरी था और उसने बहुत अच्छा काम किया था। हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि वेबस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्रांस के खिलाफ मैच में जो रेफरी होगा, वह आसानी से कार्ड (बुकिंग) नहीं देता है और इसका असर पड़ सकता है,लेकिन मैं रेफरी की क्षमता के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहूंगा।
फ्रांस और मोरक्को के बीच सभी तरह की प्रतियोगिताओं में अब तक छह बार मुकाबले हुए हैं,जिनमें फ्रांस का पलड़ा भारी रहा है। फ्रांस ने चार मैच जीते हैं, एक मैच ड्रॉ रहा है, और मोरक्को ने एक मैच जीता है। दोनों टीमें ऐतिहासिक 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी आमने-सामने थीं। मैच में मोरक्को को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था।

नक्सल हिंसा थमने के बाद अब जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की उठने लगी मांग,हजारों ग्रामीणों ने रैली निकाल कर किया प्रदर्शन

बीजापुर,10 जुलाई 2026। बस्तर में नक्सल संबंधी मामलों में वर्षों से जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इस मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर पूरी स्थिति पर चर्चा की और प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। ग्रामीणों ने 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मिलने का फैसला लिया है।

परिजनों ने कहा... निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताकर जेल में रखना न्यायोचित नहीं

नक्सल समस्या के लगातार कमजोर पड़ने और बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बीच अब नक्सल मामलों में वर्षों से जेलों में बंद बताए जा रहे निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की

रिहाई की मांग तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों और उनके परिजनों ने स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बैठक के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेसवार्ता में बताया कि कई परिवारों का कहना है कि उनके परिजन वर्षों से नक्सल मामलों में जेलों में बंद हैं,जबकि वे निर्दोष हैं। ऐसे मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। परिजनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,गृह मंत्री विजय शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है,जो जल्द ही सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखेगा। ग्रामीणों ने मांग की कि जिस प्रकार हाल के वर्षों में आत्मसमर्पण करने वाले कई हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में सरकार ने राहत दी है, उसी तरह निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों के मामलों की भी समीक्षा कर उन्हें न्याय दिया जाए। उनका कहना है कि निर्दोष लोगों को वर्षों तक नक्सली बताकर जेल में रखना उनके परिवारों के साथ गंभीर अन्याय है।

विधायक ने सरकार से की अपील...

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि आदिवासी समाज का बड़ा वर्ग आज भी कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं से पूरी तरह परिचित नहीं है। आर्थिक तंगी और कानूनी सहायता के अभाव में अनेक परिवार वर्षों तक अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। कई परिवार इस कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं।उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में नक्सल मामलों में बंद सभी निर्दोष आदिवासियों के प्रकरणों की विशेष समीक्षा कर उनकी रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत न्याय का विषय नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के विश्वास और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। विधायक ने कहा कि वे स्वयं भी इस विषय पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर ग्रामीणों की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे।बैठक के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपकर निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की शीघ्र रिहाई की मांग की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।

सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

बैठक के बाद ग्रामीणों ने रैली निकाली और निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर आने वाले दिनों में प्रदेश के शीर्ष नेताओं से मिलकर रिहाई के लिए प्रयास करने की बात कही है।

महादेव ऐप केस में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई,3800 करोड़ के पार पहुंची जब्ती

रायपुर,10 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप के खिलाफ ईडी (ईडी) ने अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी विकास गर्ग और उसके परिवार के नाम पर मौजूद करीब 940.77 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इस कार्रवाई के बाद से सट्टा सिंडिकेट से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

ईडी की जांच में सामने आया कि ये सट्टेबाजी सिंडिकेट विदेश से फ्रैंचाइजी-आधारित 'पैनल' नेटवर्क चला रहा था। इसका जाल इतना बड़ा था कि हर महीने 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई हो रही थी। ये सारा पैसा अकोमोडेशन एंट्रीज यानी कागजी लेन-देन के जरिए सफेद किया जाता था। इसके लिए फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) का एक पूरा जाल बिछाया गया था।

विकास गर्ग के जरिए घूमता था पैसा : जांच में खुलासा हुआ कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से हुई अवैध कमाई का 940.77 करोड़ रुपये का हिस्सा विकास गर्ग के कंट्रोल वाली संस्थाओं में भेजा गया था। इन पैसों से बाद में शेयर, सिक्योरिटी और महंगी रिहायशी संपत्तियां खरीदी गईं। ईडी ने अब इन सभी संपत्तियों को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत जब्त कर लिया है।

3800 करोड़ के पार पहुंची जब्ती

यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने महादेव एप केस में शिकंजा कसा है। इससे पहले भी सात बार संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। रायपुर की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में कई अभियोजन शिकायतें भी दायर हैं। इस लेटेस्ट कार्रवाई से पहले ही करीब 2,825 करोड़ रुपये की संपत्तियां सीज हो चुकी थीं। अब कुल जब्ती का आंकड़ा 3,800 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक, इस नेटवर्क की जड़ें काफी गहरी हैं और अभी कई और नाम ईडी की रडार पर हैं। देश के अलग-अलग राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर को आधार बनाकर ये जांच लगातार तेज हो रही है। मामले में आगे की पड़ताल जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां या अटैचमेंट देखने को मिल सकते हैं।

तीन महीने से बंद हैं अपोलो की एंबुलेंसें? कांग्रेस का बड़ा हमला

शैलेश पाण्डेय बोले...मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़

बिलासपुर,10 जुलाई 2026। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में गंभीर मरीज के एयरलिफ्ट को लेकर सामने आए विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक शैलेश पाण्डेय और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अपोलो अस्पताल पहुंचा और वहां की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अस्पताल के अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अस्पताल की तीनों एंबुलेंस पिछले तीन महीनों से बंद पड़ी हैं। यदि यह सही है तो प्रदेश के प्रमुख निजी अस्पतालों में शुमार अपोलो की आपातकालीन सेवाओं की वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है।

एयर एंबुलेंस विवाद से खुली व्यवस्था की परतें : मामला उस समय सुर्खियों में आया जब गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को हैदराबाद रेफर किए जाने के दौरान एयर एंबुलेंस पहले दिन मरीज को ले जाने से इनकार कर गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने अपनी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई और न ही कोई विशेषज्ञ डॉक्टर या मेडिकल टीम मरीज के साथ भेजी। इसी घटना को आधार बनाकर कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पड़ताल की। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मरीज का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाला उदाहरण है।

'मरीज नहीं, मुनाफा प्राथमिकता बन गया है'

पूर्व विधायक शैलेश पाण्डेय ने अस्पताल प्रबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई अस्पताल खुद को अत्याधुनिक और सुपर स्पेशियलिटी बताता है, तब उससे न्यूनतम आपातकालीन सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल के पास चालू हालत में एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं है, तो गंभीर मरीजों को सुरक्षित रेफर कैसे किया जाएगा। शैलेश पाण्डेय ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनशीलता की जगह अब मुनाफाखोरी हावी होती जा रही है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल प्रबंधन को एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।

'करोड़ों का कारोबार,लेकिन जिम्मेदारी शून्य': जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने भी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि मरीज और उनके परिजन भारी भरकम खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर चिकित्सा और सुरक्षा की उम्मीद होती है। केशरवानी ने कहा कि जिस अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए एंबुलेंस और रेफरल व्यवस्था ही दुरुस्त न हो, वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है।

सीईओ की अनुपस्थिति पर भी उठे सवाल : कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उनके अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही अस्पताल के सीईओ वहां मौजूद नहीं रहे। हालांकि बाद में जनसंपर्क अधिकारी और कुछ डॉक्टरों ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। कांग्रेस का कहना है कि जनता से जुड़े इतने गंभीर सवालों पर शीर्ष प्रबंधन का सामने आकर जवाब देना चाहिए था।

एक सप्ताह का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी : कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन को लिखित रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर एंबुलेंस व्यवस्था, क्रिटिकल केयर ट्रांसफर सिस्टम और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। शैलेश पाण्डेय और विजय केशरवानी ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस अस्पताल के खिलाफ जनआंदोलन शुरू करेगी।

स्पा सेंटरों पर पुलिस की सख्ती अचानक जांच से मचा हड़कंप नियम तोड़ने वालों को दी चेतावनी

रायपुर,10 जुलाई 2026। राजधानी रायपुर में स्पा सेंटरों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने पश्चिम क्षेत्र में विशेष आकस्मिक जांच अभियान चलाया। इस दौरान 10 स्पा सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया,जहां सुरक्षा व्यवस्था,दस्तावेजों और संचालन संबंधी नियमों की पड़ताल की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में सरस्वती नगर, आजाद चौक और डीडी नगर थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया। इसमें सहायक पुलिस आयुक्तों, थाना प्रभारियों और पुलिस बल ने हिस्सा लिया। निरीक्षण के दौरान स्पा सेंटरों में कार्यरत कर्मचारियों के पहचान पत्र, पुलिस सत्यापन, आगंतुकों का रिकॉर्ड,सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही यह भी परखा गया कि कहीं सेंटरों में नियमों के विपरीत या संदिग्ध गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने सभी संचालकों को कर्मचारियों का अनिवार्य सत्यापन कराने, सभी रिकॉर्ड अद्यतन रखने, सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रखने और शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कमिश्नरेट पुलिस ने कहा है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे आकस्मिक जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

आरटीआई से नहीं खुलेगी सिम्स भर्ती घोटाले की फाइल...हाईकोर्ट ने सूचना आयोग का आदेश किया रद्द

बिलासपुर,10 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स भर्ती अनियमितता मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम के गोपनीयता संबंधी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें लोक आयोग को सिम्स भर्ती मामले की गोपनीय जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-22 अन्य कानूनों पर प्राथमिकता अवश्य देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-14 के तहत जांच प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों की गोपनीयता स्वतः समाप्त हो जाती है। दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्र में समान रूप से प्रभावी रहेंगे, जब तक उनके बीच प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति न हो।

2013-14 की भर्ती से जुड़ा है मामला : मामला सिम्स में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इस संबंध में वर्ष 2016 में संजीव कुमार पंडल ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में बिलासपुर निवासी सोमराज श्रीवास्तव ने अप्रैल 2018 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत, जांच और अंतिम आदेश की प्रतियां मांगी थीं। लोक आयोग के जन सूचना अधिकारी ने मई 2018 में सूचना देने से इनकार करते हुए कहा था कि लोक आयोग अधिनियम की धारा-14 के तहत जांच से संबंधित सामग्री गोपनीय है। साथ ही, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जी) एवं 8(1)(एच) के तहत भी ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा था। इसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। आयोग ने 28 मई 2021 को लोक आयोग के निर्णय को पलटते हुए जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। आयोग का मानना था कि आरटीआई अधिनियम की धारा-22 के तहत सूचना का अधिकार अन्य कानूनों पर प्रभावी है,इसलिए गोपनीयता का हवाला देकर सूचना रोकी नहीं जा सकती। राज्य सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए लोक आयोग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम और लोक आयोग अधिनियम दोनों अपने-अपने क्षेत्र में लागू रहेंगे। केवल आरटीआई की धारा-22 के आधार पर लोक आयोग अधिनियम की गोपनीयता संबंधी व्यवस्था को निष्प्रभावी नहीं माना जा सकता।

बीएसपी के दो अधिकारी लोहा चोरी मामले में गिरफ्तार

दुर्ग,10 जुलाई 2026। भिलाई स्टील प्लांट से संगठित रूप से लौह स्क्रैप चोरी का मामला में गिरफ्तारी अब बीएसपी के अधिकारियों तक पहुंच गई है। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने चोरी में संलिप्त आईएमएस-3 के जीएम हिमांशु भूषण मलिक और एजीएम मनोज कुमार देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस इस मामले में लगातार जांच को आगे बढ़ाते हुए एक-एक कर आरोपियों तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के जीएम हिमांशु भूषण मलिक (54) और एजीएम मनोज कुमार देवांगन (58) को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अफसरों की मिलीभगत से ही पिछले 6 महीने से बीएसपी का स्क्रैप व्यवस्थित तरीके से चोरी कर बेचा जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी फ्लू डस्ट परिवहन के दौरान बीएसपी से लौह स्क्रैप चोरी कर उसे बाहर खपाते थे। 26 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह खदानपारा स्थित ए.के. ट्रेडर्स, प्लॉट क्रमांक-18, एच.आई.ए. हथखोज में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान हाईवा वाहनों और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग सामग्री भरी मिली. गोदाम मे बड़ी मात्रा में स्क्रैप रखाया था. जांच में पता चला कि आरोपी बीते 6 माह से इसी तरीके से चोरी कर रहे थे।

हाफ मर्डर के आरोपियों को 10-10 साल की हुई सजा

पेंड्रा,10 जुलाई 2026। गौरेला में 23 अक्टूबर, 2024 को दाबेली दुकान संचालित करने वाले दो भाइयों ने युवक कान्हा नामदेव पर चाकू से घातक हमला किया था। पीड़ित पेशे से ऑटो चालक है। आरोपियों ने उनकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने से धंधे में नुकसान कराने का आरोप लगाते हुए वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। पेण्ड्रारोड स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार, यह घटना 23 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8:30 बजे गौरेला थाना अंतर्गत कमानिया गेट के पास भागू किराना दुकान के सामने पर हुई थी। पीड़ित कान्हा नामदेव, आरोपी गिरधारी सोनी की दुकान पर दाबेली खाने गया था। वहां पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी गिरधारी सोनी और उसके भाई लवकुश सोनी ने उसे घेर लिया। लवकुश ने कान्हा को दबोच लिया, जबकि गिरधारी ने दुकान में रखे धारदार चाकू से उसके सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना की सूचना मिलने पर घायल को उसके भाई अनिल नामदेव ने मौके पर पहुंचकर कान्हा को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया। मामले की शिकायत थाने में दी गई। पीड़ित कान्हा नामदेव ने बताया कि हमला करते वक्त दोनों भाई चिल्ला रहे थे कि वह उनकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करके उनका धंधा चौपट करता है। ऑटो खड़े रहने से ग्राहक दुकान पर कम आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान होता है। इसी रंजिश में दोनों ने जान से मारने की नीयत से युवक कान्हा पर जानलेवा हमला किया था। गौरेला पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में इस्तमाल 9।5 इंच लंबा धारदार चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। बिलासपुर की क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला (स्वस्रु) की टीम से भी घटनास्थल का निरीक्षण कराकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद आरोपियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति और अपराध की क्रूरता पर विचार किया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)